2014 का विधेयक संख्यांक 93

[दि फैक्ट्रिज (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014

कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

धारा 2 का संशोधन ।

1948 का 63

2. कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,--

(i) खंड (गख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(गख) "परिसंकटमय प्रक्रिया" से ऐसी कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है जहां कच्ची सामग्री, परिसंकटमय पदार्थ के उपयोग में या उसके मध्यवर्ती या परिसाधित उत्पाद, उपोत्पाद या उनके अपशिष्ट या बहिःस्राव से जब तक कि विशेष सावधानी नहीं बरती जाती है--

(क) उससे लगे हुए या उससे संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य का तात्विक ह्रास होगा ; या

(ख) साधारण पर्यावरण की पकिणचि प्रदूषण में होगी ; " ;

(ii) खंड (गख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

(गग) "परिसंकटमय पदार्थ" से यथाविहित कोई पदार्थ या जिसकी निर्मिति अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के कारण या जिनकी उठाई-धराई से मानव को शारीरिक या स्वास्थ्य के लिए परिसंकटमय हो सकते हैं या अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण को क्षति कारित हो सकती है, अभिप्रेत हैं ;';

(iii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(डक) "निःशक्तता" का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (i) में है ;' ; 1996 का 1

(iv) खंड (च) में, "किसी विशिष्ट क्षेत्र" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारखाने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(v) खंड (ट) के उपखंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(iv) मुद्रण के लिए कम्पोज करने या प्रसंस्करण करने, लैटर प्रैस, अश्म-मुद्रण, ऑफसेट, प्रकाशोत्कीर्ण, स्क्रीन मुद्रण, फ्लैक्सोग्राफी या अन्य वैसी ही प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या जिल्दबंदी करने की कोई प्रक्रिया ; या;";

(vi) खंड (ड) में,--

(क) उपखंड (i) में, "दस या अधिक कर्मकार" शब्दों के पश्चात्, "या उतने कर्मकार, जो विहित किए जाएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) में, "बीस या अधिक कर्मकार" शब्दों के पश्चात्, "या उतने कर्मकार, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपखंड (ii) के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों की संख्या क्रमशः बीस और चालीस कर्मकारों से अधिक का नहीं होगी ।";

(vii) खंड (ड) के पहले परंतुक के उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कारखाने की दशा में,

यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या ऐसा कोई प्राधिकरण, जो नियत किया जाए, द्वारा कारखाने के कामकाज के प्रबंध के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिष्ठाता समझा जाएगा ;';

(viii) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(त) "विहित" से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

धारा 6 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**--यदि कोई संयंत्र या मशीनरी प्रतिस्थापित करने से अथवा ऐसी सीमाओं के भीतर जो विहित की जाएं कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनें लगाने से संयंत्र या मशीनरी के चारों ओर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अभिप्रेत न्यूनतम खुला स्थान कम नहीं होता है अथवा परिसंकटमय दशाओं के परिणामस्वरूप दुर्घटना या खतरनाक घटना कारित होने की संभावना है या कर्मकारों या जनता के स्वास्थ्य को क्षति या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भाप, गर्मी या धूल या धूम या रासायनिक या जैविक अपशिष्टों के निष्कासन या निर्गमन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव का किसी सक्षम व्यक्ति को लिखित में प्रमाणपत्र देना होगा :

परंतु सक्षम व्यक्ति द्वारा दिया गया ऐसा प्रमाणपत्र अधिष्ठाता द्वारा लिखित में दिए गए प्रमाणपत्र तक विधिमान्य होगा ।" ।

धारा 7 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ड) में, "अश्वशक्ति" शब्द दोनों स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "किलोवाट में शक्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 7ख का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7ख में,--

(क) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(5) किसी व्यक्ति का,--

(क) जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी वस्तु को परिनिर्मित या संस्थापित करता है, यह सुनिश्चित यथासाध्य करने का कर्तव्य होगा कि, ऐसी वस्तु जो परिनिर्मित या संस्थापित की गई है ऐसे कारखाने में व्यक्तियों द्वारा जब उक्त वस्तु का उपयोग किया जाता है वह असुरक्षित या स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न न करती हो ;

(ख) जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी पदार्थ का विनिर्माण, आयात या प्रदाय करता है--

(i) यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि ऐसा पदार्थ यथासंभव सुरक्षित है और ऐसे कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य को कोई जोखिम अंतर्वलित नहीं है ;

(ii) ऐसे पदार्थ के संबंध में ऐसी जांच और परीक्षण करने का या करने के लिए व्यवस्था करेगा जो आवश्यक हों, कर्तव्य होगा ;

(iii) ऐसे उपाय करने की, जो आवश्यक हैं, कर्तव्य होगा कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट पदार्थ के उपयोग के संबंध में किए जाने वाले परीक्षणों के परिणामों से संबंधित जानकारी किसी कारखाने में उसके सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बिना उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्तों के साथ उपलब्ध होगी ;

(ग) जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी पदार्थ के

विनिर्माण करता है या खोज की दृष्टि से किसी आवश्यक अनुसंधान को करने के लिए व्यवस्था करता है, यथासाध्य, स्वास्थ्य या सुरक्षा जो ऐसे पदार्थ के विनिर्माण या अनुसंधान करने में उत्पन्न हो सकती है, विलोपन या न्यूनीकरण करने को सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा ।" ।

(ख) उपधारा (6) में, "वस्तु" शब्द उन दोनों स्थानों पर जहां वह आता है "वस्तु या पदार्थ" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**--इस धारा के प्रयोजन के लिए--

(क) "वस्तु" के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी भी है ;

(ख) "पदार्थ" से कोई प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ अभिप्रेत है चाहे वह ठोस या द्रव्य प्ररूप में या गैस या वाष्प के रूप में हो ; और

(ग) "किसी कारखाने में उपयोग के लिए पदार्थ " से कोई पदार्थ अभिप्रेत है चाहे वह किसी कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए आशयित हो या नहीं ।" ।

धारा 13 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) में, "जहां दो सौ पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 21 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में,--

(क) उपधारा (1) में, "चुस्त कपड़े पहने (जो अधिष्ठाता द्वारा दिए जाएंगे) विशेष रूप से प्रशिक्षित उस वयस्क पुरुष कर्मकार" शब्दों के स्थान पर, "चुस्त कपड़े पहने (जो अधिष्ठाता द्वारा दिए जाएंगे) विशेष रूप से प्रशिक्षित उस वयस्क पुरुष कर्मकार या खुले बालों को आच्छादित करते हुए वयस्क स्त्री कर्मकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "स्त्री" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "गर्भवती स्त्री या कोई निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का लोप ।

13. मूल अधिनियम की धारा 26 का लोप किया जाएगा ।

धारा 27 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"27. रूई दबाने के लिए कारखाने के किसी ऐसे भाग में जिसमें रूई धुनकी चल रही हो, अल्पवय व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जाएगा ।" । रूई धुनकियों के पास अल्पवय व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध ।

15. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (4) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 28 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 29 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) और उपधारा (3) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 31 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 34 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 35 में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 35 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 35क का अंतःस्थापन ।

"35क. (1) अधिष्ठाता, किए जाने वाले कार्य या प्रक्रिया में अंतर्वलित परिसंकटमय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे परिसंकट की आशंका वाले कर्मकारों को उपयुक्त व्यक्तिगत संरक्षा उपकरण और संरक्षा वस्त्र जो आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगा । व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर्मकारों को प्रदाय किए गए यथा अपेक्षित व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर और संरक्षा वस्त्र जहां ऐसे संरक्षा उपस्करों या वस्त्रों के लिए राष्ट्रीय मानक उपलब्ध नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे ।

(3) अधिष्ठाता, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर या संरक्षा वस्त्र के सभी मद स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में और अच्छी मरम्मत में रखेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपयोग की दशाओं और उनकी क्वालिटी मानकों की अनुरूपता के संबंध में उनकी प्रभाविकता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर और संरक्षा वस्त्रों के अनुरक्षण, जारी किए जाने के मानकों को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी ।" ।

21. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 36 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"36. (1) किसी व्यक्ति को किसी कारखाने में ऐसे किसी कोष्ठ, टंकी, कुंड, गर्त, पाईप, फ्लू या अन्य परिरूद्ध स्थान में जिसमें किसी गैस, धूम, वाष्प या धूल के इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान होने की संभावना है जिससे व्यक्ति के अभिभूत हो जाने का खतरा है तब तक प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक उसमें उपयुक्त आकार के मेन होल या बाहर जाने की अन्य प्रभावी साधनों की व्यवस्था न हो या जिसमें ऑक्सीजन की विहित मात्रा से न्यून ऑक्सीजन अंतर्विष्ट है । परिरुद्ध स्थानों में प्रवेश ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपयुक्त आकार पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(क) आयताकार आकार के मेन होल की दशा में 50 सेंटीमीटर x 30

सेंटीमीटर से अन्यून ;

(ख) अंडाकार आकार के मेन होल की दशा में अधिकतम 50 सेंटीमीटर और न्यूनतम अक्ष 30 सेंटीमीटर से अन्यून ;

(ग) गोलाकार आकार के मेन होल की दशा में पचास सेंटीमीटर व्यास से अन्यून ।

(2) किसी व्यक्ति को किसी बायलर भट्टी, बायलर चिमनी, टंकी, कुंड, पाइप या अन्य परिरुद्ध स्थान में कार्य करने के प्रयोजन के लिए या किसी परीक्षण को तब तक नहीं करेगा,--

(क) वह पर्याप्त रूप से संवातन या अन्यथा द्वारा ठंडी न हो जाए और प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए सुरक्षित है ; और

(ख) जहां ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना है,--

(i) किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर लिखित में प्रमाणपत्र देगा कि उक्त स्थान में ऑक्सीजन की कमी नहीं है किसी व्यक्ति के प्रवेश के लिए असुरक्षित नहीं है; या

(ii) कर्मकार उपयुक्त स्वांस लेने के उपकरण पहने है और परिरुद्ध स्थान के लिए संरक्षा साज किसी रस्से से संबद्ध है और जिसका मुक्त सिरा परिरुद्ध स्थान के बाहर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ा गया है ।

(3) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट किसी कारखाने में किसी कोष्ठ, टंकी, कुंड, गर्त, पाईप, चिमनी या अन्य परिरुद्ध स्थान और उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट किसी कारखाने में कोई बायलर भट्टी, बायलर चिमनी, टंकी, कुंड, पाईप या अन्य परिरुद्ध स्थान में किसी निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति या कोई गर्भवती स्त्री की अपेक्षा या अनुज्ञात नहीं होगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी कारखाने और प्रत्येक ऐसे परिरुद्ध स्थान में तात्कालिक उपयोग के लिए उपयुक्त स्वांस लेने के उपकरण, पुनरूज्जीवित उपकरण और संरक्षा साज और रस्से रखने होंगे जिन्हें कोई व्यक्ति प्रवेश के लिए उपयोग कर सकेगा और ऐसे सभी उपकरण किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा आबाधिक रूप से परीक्षित और सत्यापित होंगे कि वे उपयोग के लिए उपयुक्त हैं; और सभी ऐसे उपकरणों के उपयोग में प्रशिक्षित और व्यवहार और स्वांस को पुनर्स्थापन की विधियों में प्रशिक्षित व्यक्तियों प्रत्येक कारखाने में नियोजित व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या होगी ।

(5) राज्य सरकार लिखित में आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे किसी कारखाने या कारखानों के किसी वर्ग या वर्णन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।" ।

धारा 37 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 37 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "किसी विनिर्माण प्रक्रिया" से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भाग और "निम्नलिखित रूप से किए जाएंगे" से समाप्त होने वाले शब्दों के भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"अपरिष्कृत सामग्री, मध्यवर्ती उत्पाद या अंतिम उत्पाद की किसी विनिर्माण प्रक्रिया, भंडारण या उठाई-धराई से इस प्रकार की इतनी धूल, गैस, धूम या वाष्प इतनी सीमा तक उत्पन्न होती है जिससे के परिणामस्वरूप उसके ज्वलन से आग या विस्फुटित होने की संभाव्यता हो,

वहां ऐसे किसी आग या विस्फोट को रोकने के लिए सब साध्य उपाय निम्नलिखित रूप में किए जाएंगे";

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) विस्फोट गैस का मापमान ऐसे उपयुक्त और अंशाकित उपकरणों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किए जाएंगे जो विहित की जाए ।";

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(4क) किसी कारखाने में यदि कोई ज्वलनशील गैस, धूम या धूल ऐसे किसी क्षेत्र में उपस्थित होने की संभावना है उक्त क्षेत्र में विद्युत उपस्कर, साधित्र और फीटिंगें राष्ट्रीय विद्युत कोड के अनुसार चयनित, संस्थापित और अनुरक्षित की जाएंगी तथा संबंधित राष्ट्रीय मानकों या जहां राष्ट्रीय मानक उपलब्ध नहीं हैं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी ।

(4ख) उपधारा (4क) में निर्दिष्ट विद्युत उपस्कर, उपकरण और फीटिंगें कारखाने में उपयोग से पहले महानिदेशक, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित होंगी ।" ।

धारा 38 का संशोधन ।

23. धारा 38 की उपधारा (3) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 40ख का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 40ख में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 41क का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 41क में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 41ख का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 41ख में,--

(i) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) (क) ऐसे परिमाण के समतुल्य या अधिक जो विहित किया जाए, ऐसे परिसंकटमय पदार्थों का विनिर्माण, भंडारण या उठाई-धराई में अंतर्वलित किसी कारखाने का अधिष्ठाता कर्मकारों के प्रतिनिधियों के परामर्श से स्थल पर आपातकालीन योजना और उस कारखाने के लिए ऐसे विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय, जो विहित किए जाएं, तैयार करेगा और उसे मुख्य निरीक्षक और अन्य प्राधिकारियों को जानकारी के लिए भेजेगा ।

(ख) कारखाने का अधिष्ठाता कारखाने में नियोजित कर्मकारों और कारखाने के आसपास रहने वाले जनसाधारण की जानकारी में उपर्युक्त खंड (क) के अधीन किसी दुर्घटना होने की दशा में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों के स्थल पर आपातकालीन योजना और तैयार किए गए विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय लाएगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा परिसर में परिसंकटमय पदर्थों की मात्रा को ध्यान में लाए बिना परिसंकटमय प्रक्रिया करने वाले किसी कारखाने के लिए अपेक्षित स्थलीय आपातकालीन योजना और आपदा नियंत्रण उपाय तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगा ।" ।

(ii) उपधारा (5) में,--

(क) खंड (क) में, "लगा हुआ है" शब्दों के स्थान पर, "लगी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "प्रारंभ से पूर्व" शब्दों के पश्चात्, "कम से कम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 41ग का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 41ग के खंड (क) में, "रासायनिक, विषैले या किन्हीं अन्य हानिप्रद पदार्थों" शब्दों के स्थान पर, "परिसंकटमय पदार्थों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 41घ का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 41घ की उपधारा (1) में, "रोकने और पुनः न होने के लिए" शब्दों के स्थान पर, "पुनः न होने से रोकने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 41ङ का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 41ङ की उपधारा (1) में, "कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थानों के महानिदेशक" शब्दों के स्थान पर, "महानिदेशक, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 41च का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 41च की उपधारा (1) में, "विनिर्माण प्रक्रियाओं (चाहे वह परिसंकटमय हों या अन्यथा) में रासायनिक या विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्माण प्रक्रियाओं में रासायनिक या विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अधिकतम सीमाएं" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 41छ का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 41छ की उपधारा (1) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 41झ का अंतःस्थापन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 41ज के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित नियम बनाने की शक्ति ।

"41झ. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बना सकेगी,--

(क) परिसंकटमय प्रक्रियाओं में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों को विनिर्दिष्ट करना ;

(ख) परिसंकटमय प्रक्रियाओं में अंतर्वलित विनिर्माण भंडारण या उठाई-धराई में अल्पवय व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और वयस्क कर्मकारों के किसी वर्ग को नियोजन से प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करना ;

(ग) परिसंकटमय पदार्थों के उपयोग को प्रतिषिद्ध निर्बंधित या नियंत्रित करना ।" ।

धारा 45 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (3) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 46 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

कैंटीनें ।

"46. (1) प्रत्येक कारखाने में जहां दो सौ या अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं कर्मकारों के उपयोग के लिए अधिष्ठाता द्वारा कैंटीन या कैंटीनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा ।

(2) राज्य सरकार,--

(क) कैंटीन के संनिर्माण, अभिस्थान, उसमें जगह, फर्नीचर, सफाई तथा अन्य साज-सामान के बारे में मानक ;

(ख) ऐस खाद्य पदार्थ जो वहां उपलब्ध कराए जाएंगे और कीमत जो उनके लिए प्रभारित की जा सकेगी ;

(ग) कैंटीन के लिए प्रबंध समिति का गठन और कैंटीन के प्रबंध में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व ;

(घ) कैंटीन के चलाए जाने में व्यय की वे मदें जो खाद्य पदार्थों का खर्च निर्धारित करने में हिसाब में नहीं ली जाएंगी और उन मदों के व्यय, जो अधिष्ठाता द्वारा वहन किए जाएंगे ;

(ङ) कैंटीन कर्मचारिवृंद के आवधिक चिकित्सीय परीक्षा ; और

(च) खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति, ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, मुख्य निरीक्षक प्रत्यायोजन,

विहित कर सकेगी ।

(3) मुख्य निरीक्षक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराने को विद्यमान कारखानों के लिए बारह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए उपधारा (1) की अपेक्षाओं को, कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, शिथिल कर सकेगा ।

धारा 47 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 47 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "डेढ सौ" शब्दों के स्थान पर, "पचहत्तर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "उपयुक्त आश्रय या विश्राम कक्ष" शब्दों के स्थान पर, "पुरुष और स्त्री कर्मकारों के लिए उपयुक्त तथा पृथक आश्रय या विश्राम कक्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पहले परंतुक में, "अपेक्षाओं के भागरूप" शब्दों के स्थान पर, "भोजनकक्ष से संबंधित अपेक्षाओं के भागरूप" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) मुख्य निरीक्षक उसके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजनकक्ष की सुविधा उपलब्ध कराने को विद्यमान कारखानों के लिए बारह माह से अनधिक किसी अवधि के लिए उपधारा (1) की अपेक्षाओं के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् शिथिल कर सकेगा ।" ।

धारा 56 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 56 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है, वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय विस्तार की अवधि को किसी कारखाने में या कारखानों के समूह या वर्ग या वर्णन में बारह घंटों तक बढ़ा सकेगी ।"

धारा 59 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऐसे भत्तों" से ऐसे सभी भत्ते, उन भत्तों के सिवाय जो पूरक प्रकृति के हैं, जैसे मकान किराया भत्ता, परिवहन और लघु कुटुंब भत्ता, अभिप्रेत हैं ।'।

धारा 64 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 64 में,--

(क) उपधारा (4) के खंड (iv) में, "पचास" शब्द के स्थान पर, "एक सौ" शब्द

रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (5) में, "बनाए गए नियम" शब्दों के स्थान पर, "कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ होने से पूर्व बनाए गए नियम" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 65 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3) के खंड (iv) में,--

(क) "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर, "एक सौ पंद्रह" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, आदेश द्वारा किसी तिमाही में समयोपरि कार्य के कुल घंटों को जनहित में एक सौ पच्चीस घंटों तक बढ़ा सकेगा ।" ।

धारा 66 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

40. मूल अधिनियम की धारा 66 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, 1948 का 63 अर्थात् :--

स्त्रियों के नियोजन पर और निर्बंधन ।

"66. कारखानों में स्त्रियों को लागू होने के संबंध में इस अध्याय के उपबधों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त निर्बंधन भी होंगे, अर्थात्:-

(क) किसी स्त्री के बारे में धारा 54 के उपबंधों से कोई छूट नहीं दी जाएगी ;

(ख) पालियों में सिवाय किसी साप्ताहिक अवकाश या किसी अन्य अवकाश के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं होगा ; और

(ग) किसी कारखाने में, किसी स्त्री से सिवाय 6 बजे प्रातः और 7 बजे सायं के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी--

"परंतु जहां राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारखाने में वृत्तिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, आश्रय का उपबंध, विश्राम गृह, भोजन गृह, रात्रि शिशुकक्ष और महिलाओं के लिए शौचालय, स्त्री कार्मिकों के लिए समान अवसर, उनकी मर्यादा, सम्मान और सुरक्षा, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और कारखाना परिसर से उनके निवास तक परिवहन के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय विद्यमान हैं, तो वह स्त्री कार्मिकों के साथ सम्यक् परामर्श और नियोजकों के प्रतिनिधि संगठनों तथा संबंधित कारखाने या कारखानों के समूह या वर्ग या विवरण के कार्मिकों के प्रतिनिधि संगठनों की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विहित की जांए, ऐसे कारखाने या कारखानों के समूह या वर्ग या वर्णन में स्त्रियों को 7 बजे सायं से 6 बजे प्रातः के बीच कार्य करने की अनुज्ञा दे सकेगा :

परंतु यह और कि किसी स्त्री को उसके द्वारा शिशु को जन्म देने से पूर्व या उसके पश्चात् सोलह सप्ताह की अवधि के दौरान जिसमें से कम से कम आठ सप्ताह संभावित शिशु जन्म से पूर्व होंगे और ऐसी अतिरिक्त अवधि यदि कोई है, जैसाकि किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र में यह विनिर्दिष्ट करते हुए यह अधिकथित हो कि स्त्री कार्मिक या बालक के स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना अपेक्षित है, किसी स्त्री कार्मिक को ऐसी कोई अनुज्ञा

प्रदान नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि यह कथन करते हुए कि न तो स्त्री के न ही बालक के स्वास्थ्य को कोई संकट है, किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ववर्ती परंतुक में अंतर्विष्ट निर्बंधन से छूट दी जा सकेगी ।"

41. मूल अधिनियम की धारा 76 के खंड (ख) का लोप किया जाएगा । — धारा 76 का संशोधन ।

1938 का 26
1986 का 61

42. मूल अधिनियम की धारा 77 में, "बालक नियोजन अधिनियम, 1938" शब्दों और अकों के स्थान पर, "बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे । — धारा 77 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 79 में,-- — धारा 79 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,--

(i) आरंभिक भाग में, "240 या अधिक दिनों" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "90 या अधिक दिनों" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण 1 में "240 या अधिक दिनों" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "90 या अधिक दिनों" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "दो-तिहाई" शब्दों के स्थान पर, "एक-चौथाई" शब्द रखे जाएंगे ।

44. मूल अधिनियम की धारा 87 में,-- — धारा 87 का संशोधन ।

(क) आरंभिक भाग में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, "स्त्रियों, कुमारों या बालकों" के स्थान पर, "अल्पवय व्यक्तियों या स्त्रियों या निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों" , शब्द रखे जाएंगे ।

45. मूल अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (3) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, " केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे । — धारा 88 का संशोधन ।

46. मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा । — धारा 89 का संशोधन ।

47. मूल अधिनियम की धारा 90 में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, " केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे । — धारा 90 का संशोधन ।

48. मूल अधिनियम की धारा 91क की उपधारा (1) में, "कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशक" शब्दों के स्थान पर, "महानिदेशक, उपजीविकाजन्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य" शब्द रखे जाएंगे । — धारा 91क का संशोधन ।

49. मूल अधिनियम की धारा 92 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-- — धारा 92 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

"92. (1) इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय और धारा 93 के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि यदि किसी कारखाने में या उसके संबंध में इस अधिनियम के अध्याय 1, अध्याय 3 (धारा 11, धारा 18, धारा 19 और धारा 20 के सिवाय), अध्याय 4, अध्याय 4क (धारा 41ख, धारा 41ग और धारा 41ज के सिवाय), अध्याय 7 और अध्याय 9 (धारा 89 के सिवाय) के उपबंधों का या उसके अध्यधीन बनाए गए नियमों या उनके अध्यधीन किए गए किसी लिखित आदेश का कोई उल्लंघन होगा तो कारखाने का अधिष्ठाता और प्रबंधक प्रत्येक अपराध का दोषी होगा और कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो — अपराधों के लिए साधारण शास्ति ।

तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा और जो किसी दशा में तीस हजार रुपए से कम नही होगा, या दोनों से दंडनीय **होगा:**

परंतु जहां उपधारा (1) **में निर्दिष्ट अध्यायों के किन्हीं उपबंधों या** उसके अध्यधीन बनाए गए नियमों के **अधीन किसी उपबंध** के उल्लंघन से ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हुई है तो जुर्माना पचहत्तर हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

(2) यदि उल्लंघन उपधारा (1) के अधीन दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है तब कारखाने का अधिष्ठाता और प्रबंधक प्रत्येक अपराध का दोषी होगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है दो हजार रुपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा ।

(3) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उनके अध्यधीन बनाए गए नियमों या उनके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबधों के किसी उल्लंघन के संबंध में उनके जिनका वर्णन उपधारा (1) के अधीन किया गया है, जिसके लिए किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, के सिवाय, कारखाने का अधिष्ठाता और प्रबंधक प्रत्येक अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से जो एक लाख पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और यदि दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहता है तो और जुर्माने, जो उल्लंघन जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "गंभीर शारीरिक क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिसमें किसी अंग का स्थायी नुकसान या उसमें नुकसान की सभी संभावनाएं या उस अंग के उपयोग का स्थायी नुकसान या दृष्टि या सुनने को क्षति या कोई अस्थि भंग अंतवर्लित है किंतु उसमें किसी हाथ या पैर की अंगुल्यास्थि या जोड़ (जो एक से अधिक अस्थि या जोड़ का भंग होना नहीं है) का अस्थिभंग शामिल नहीं है ।

अधिष्ठाताओं से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा अपराधों के लिए शास्तियां ।

92क. यदि कोई व्यक्ति जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी वस्तु या पदार्थ का डिजाइन करता है, विनिर्माण करता है, आयात या प्रदाय करता है, धारा 7ख के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो तीन लाख तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

कतिपय अन्य मामलों में शास्तियां।

92ख. (1) धारा 2 के खंड (गक) के अधीन नियुक्त कोई सक्षम व्यक्ति अधिनियम या उसके अध्यधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबध का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) यदि किसी कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार धारा 20 की उपधारा (3) के उल्लंघन में थूकता है तो एक सौ रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(3) यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी धारा 89 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो तीन हजार रुपए तक हो सकेगा ।

(4) यदि कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार धारा 97 की उपधारा (1) या धारा 111 या उनके अध्यधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से जो पंद्रह सौ रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।

कतिपय अपराधों का उपशमन ।

92ग. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन अपराधों के संबंध में, जिनका अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए जो विहित की जाए, उपशमन किया जा सकेगा, विहित कर सकेगी:

परंतु यह कि यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का परिवर्धन, लोप या उसमें फेरफार करके उस अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का उपशमन किए जाने पर उस अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध कोई और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात उस तारीख से जिसको वैसे ही कारित अपराध उपधारा (1) के अधीन उपशमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के भीतर कारित किसी अपराध को लागू नहीं होगी ।" ।

धारा 93 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

50. मूल अधिनियम की धारा 93 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व ।

"93.(1) जहां किसी परिसर में पृथक्-पृथक् भवन विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक् कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, परिसर का स्वामी निम्नलिखित की व्यवस्था करने और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा--

(i) सामान्य प्रसुविधाएं और सेवाएं जैसे कि पहुंच मार्ग, जल निकास, जल प्रदाय, प्रकाश और स्वच्छता;

(ii) यथा योग्य सीढ़ियां;

(iii) आग की दशा में पूर्वावधानियां;

(iv) ढांचागत स्थायित्व को सुनिश्चित करना;

(v) उत्तोलक और उत्थापक; और

(vi) कोई अन्य सामान्य सुविधाएं ।

(2) जहां किसी परिसर में, स्वतंत्र या स्वतःपूर्ण, मंजिलों या फ्लोटों, कक्षों, कमरों, गलों, शेडों का उपयोग पृथक्-पृथक् कारखानों के रूप में किया जाता है तो परिसर का स्वामी निम्नलिखित की व्यवस्था करने और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा--

(i) शौचालय, मूत्रालय और धुलाई की सुविधाएं;

(ii) सामान्य स्थान या किसी अधिष्ठाता के अवस्थान में प्रतिस्थापित मशीनों और संयंत्र की सुरक्षा;

(iii) मंजिलों या फ्लैटों, कक्षों, कमरों, गलों, शेडों में पहुंच के सुरक्षित साधन और सीढ़ियों तथा सामान्य मार्गों को बनाए रखना और सफाई;

(iv) आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां;

(v) उत्तोलक और उत्थापन;

(vi) सामान्य रास्तों, छज्जों, बरामदों, स्थानों, सीढ़ीयों और ऐसे अन्य सामान्य स्थान का किसी ऐसी गतिविधि के लिए जो ऐसे स्थानों में आशयित नहीं है प्रतिषेध करना ;

(vii) ढांचागत स्थायित्व का सुनिश्चित करना; और

(viii) परिसर में उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सामान्य सुविधाएं ।

(3) परिसर का स्वामी ऐसी किसी अन्य सुविधा की जिसकी अपेक्षा की जाए किंतु जो उपर्युक्त पर उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट नहीं है व्यवस्था करने, उसका अनुरक्षण करने या प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा (1) और

उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट परिसर के स्वामी को कैंटीन, आश्रय, विश्राम कक्ष और शिशु कक्षों का उपबंध करने के संबंध में आदेश देने की शक्ति होगी ।

(5) उपधारा (3) के संबंध में, इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रयोजनों के लिए संगणना करते, पूरे परिसर में नियोजित कर्मकारों की कुछ संख्या को किसी एक कारखाने में माना जाएगा ।

(6) परिसर का स्वामी इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए ऐसे दायी माना जाएगा मानो वह कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक है और धारा 92 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्वामी" के अंतर्गत यथास्थिति संप्रवर्तक, सहकारी सोसाइटी, न्यास, प्रापक, विशेष अधिकारी भी आएंगे ।" ।

धारा 94 का संशोधन ।

51. मूल अधिनियम की धारा 94 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "दस हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा", शब्दों के स्थान पर, "चालीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु छह लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) पहले परंतुक में, "दस हजार रुपए " शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह और कि धारा जहां 92 की उपधारा (1) में वर्णित अध्यायों या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के उल्लंघन का परिणाम मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति कारित होती है तो जुर्माना एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा ।";

(ख) इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(1क) यदि कोई व्यक्ति जो धारा 92क के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जा चुका है, पुनः किसी अपराध का, जिसमें समान उपबंध का उल्लंघन अंतर्वलित है, दोषी होता है तो वह पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर--

(i) धारा 92क की उपधारा (1) के उल्लंघन की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो चालीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से; और

(ii) धारा 92क की उपधारा (2) के उल्लंघन की दशा में कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से,

दंडनीय होगा ; ";

(ग) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 95 का संशोधन ।

52. मूल अधिनियम की धारा 95 में, "कारखाने में किसी कर्मकार को निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाएगा या रोकेगा वह कारावास

से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"निरीक्षक द्वारा परीक्षित किए जाने पर निरीक्षक को कारखाने में संबद्ध स्थान, शाखा, अनुभाग, विभाग में पहुंचने के लिए युक्तियुक्त और अपेक्षित सहायता या सहयोग नहीं देता है या अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित किसी तथ्य या आंकड़ों को छिपाता है, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो तीस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

53. मूल अधिनियम की धारा 96 में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीस हजार रुपए " शब्द रखे जाएंगे । — धारा 96 का संशोधन ।

54. मूल अधिनियम की धारा 96क में,-- — धारा 96क का संशोधन ।

(क) "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "छह लाख रुपए " शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर,"पंद्रह हजार रुपए " शब्द रखे जाएंगे ।

55. मूल अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:- — धारा 97 का संशोधन ।

"(1) धारा 111 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों या किए गए किसी आदेश का कर्मकारों पर कोई कर्तव्य या दायित्व अधिरोपित करने में उल्लंघन नहीं करेगा " ।

56. मूल अधिनियम की धारा 98 में "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन हजार रुपए " शब्द रखे जाएंगे । — धारा 98 का संशोधन ।

57. मूल अधिनियम की धारा 99 में "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन हजार रुपए " शब्द रखे जाएंगे । — धारा 99 का संशोधन ।

58. मूल अधिनियम की धारा 102 की उपधारा (2) में "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ रुपए " शब्द रखे जाएंगे । — धारा 102 का संशोधन ।

59. मूल अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:- — धारा 104 का संशोधन ।

"(2) प्रमाणित करने वाले शल्य चिकित्सक या बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उस कर्मकार के संबंध में यह लिखित में इस बात की घोषणा, कि उसने स्वयं ऐसे कर्मकार की परीक्षा की है और ऐसी घोषणा में यह अधिकथित की जाएगी कि ऐसा कर्मकार अल्प आयु या अधिक आयु का है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए उस कर्मकार की आयु के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगी ।"।

1986 का 61

60.मूल अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा । — धारा 111 का संशोधन ।

61. मूल अधिनियम की धारा 112 में, "राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार धारा 112क में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे नियम बना सकेगी" शब्द रखे जाएंगे । — धारा 112 का संशोधन ।

62. मूल अधिनियम की धारा 112 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-- — नई धारा 112क का अंतःस्थापन ।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

"112क. (1) केन्द्रीय सरकार, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य या ऐसे अन्य विषयों में जैसे वह आवश्यक समझे, एकरूपता लाने की दृष्टि से अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकारों के परामर्श से नियम विरचित कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

पहली अनुसूची का लोप ।

63. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

चौथी अनूसूची का अंतःस्थापन ।

64. मूल अधिनियम की तीसरी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"चौथी अनुसूची

(धारा 92ग देखिए)

उपशमनीय अपराधों की सूची

क्रम संख्या	धारा और उसके अधीन विरचित नियम तथा उसके अधीन जारी आदेश	अपराध की प्रकृति
1	2	3
1.	धारा 11-सफाई	उपबंधों के अनुसार सफाई बनाए न रखना ।
2.	धारा 18-पीने का जल	उपबंधों के अनुसार पीने का जल की व्यवस्था और उसका अनुरक्षण न करना ।
3.	धारा 19 - शौचालय और मूत्रालय	उपबंधों के अनुसार शौचालय और मूत्रालय के लिए स्थान उपलब्ध न कराना ।
4.	धारा 20-थूकदान	(क) उपबंधों के अनुसार थूकदान उपलब्ध न कराना । (ख) धारा 20 की उपधारा (3) के उल्लंघन में थूकना ।
5.	धारा 42- धुलाई की सुविधाएं	उपबंधों के अनुसार धुलाई की सुविधाएं उपलब्ध न कराना ।
6.	धारा 43-वस्त्रों को रखने और सुखाने के लिए सुविधाएं	उपबंधों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध न कराना ।
7.	धारा 44- बैठने की सुविधाएं	उपबंधों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध न कराना ।
8.	धारा 45 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) - प्राथमिक उपचार साधित्र	उपबंधों के अनुसार प्राथमिक उपचार साधित्र उपलब्ध न कराना और उनका अनुरक्षण न करना ।
9.	धारा 46-कैन्टीन	उपबंधों के अनुसार कैन्टीन उपलब्ध न कराना और उसका अनुरक्षण न करना ।
10.	धारा 47-आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष	उपबंधों के अनुसार आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष उपलब्ध न कराना और उनका अनुरक्षण न करना ।
11.	धारा 48-शिशु कक्ष	उपबंधों के अनुसार शिशु कक्ष उपलब्ध न कराना और उनका अनुरक्षण न करना ।
12.	धारा 50- अध्याय 5 की अनुपूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति	धारा 50 के अधीन विरचित नियमों का अनुपालन न करना ।
13.	धारा 53 की उपधारा (2)-प्रतिकरात्मक अवकाश दिन	प्रतिकरात्मक अवकाश दिन के लिए सूचना का प्रदर्शन न करना और रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं करना ।
14.	धारा 59 की उपधारा (5)-अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी	विहित रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना ।
15.	धारा 60-दोहरे नियोजन पर निर्बंधन	किसी कर्मकार को किसी दिन दोहरा नियोजन अनुज्ञात करना।
16.	धारा 61- वयस्कों के लिए काम की कालावधियों की सूचना	उपबंधों का अनुपालन न करना ।
17.	धारा 62 -वयस्क कर्मकारों का रजिस्टर	उपबंधों के अनुसार रजिस्टरों को रखा न जाना ।
18.	धारा 63- काम के घंटों का सूचना के अनुरूप होना	उपबंधों का अनुपालन न करना ।

1	2	3
19.	धारा 64- छूट देने वाले नियम बनाने की शक्ति	धारा 64 के अधीन विरचित नियमों का अनुपालन न करना ।
20.	धारा 65- छूट देने के आदेश की शक्ति	धारा 65 के अधीन जारी किए गए आदेशों का अनुपालन न करना ।
21.	धारा 79-मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी	उपबंधों का अनुपालन न करना ।
22.	धारा 80- छुट्टी वाली दशा में अवधि के दौरान मजदूरी	उपबंधों का अनुपालन न करना ।
23.	धारा 81-कतिपय दशा में अग्रिम संदाय किया जाना	उपबंधों का अनुपालन न करना ।
24.	धारा 82- असंदत्त मजदूरी की वसूली का ढंग	उपबंधों का अनुपालन न करना ।
25.	धारा 83- नियम बनाने की शक्ति	नियमों के अनुसार रजिस्टरों का रखा न जाना और उपबंधों का अनुपालन न करना ।
26.	धारा 84- कारखानों को छूट देने की शक्ति	छूट देने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन न करना।
27.	धारा 93- कतिपय परिस्थितियों में परिसरों के स्वामी का दायित्व	उपधारा (1) और उपधारा (3) के खंड (i) और खंड (vi) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन न करना
28.	धारा 97- कर्मकारों द्वारा अपराध	उपबंधों का अनुपालन न करना ।
29.	धारा 108- सूचनाओं का संप्रदर्शन	उपबंधों का अनुपालन न करना ।
30.	धारा 110- विवरणियां	उपबंधों का अनुपालन न करना ।
31.	धारा 111क-कर्मकारों के अधिकार, आदि	कर्मकारों को अधिकार न देना
32.	धारा 114- सुविधाओं और सौकार्य के लिए कोई प्रभार न लेना ।	अधिनियम के अधीन कर्मकारों को किसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रभार की मांग करना ।" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारखाना अधिनियम, 1948 में अधिनियमित किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य कारखानों में नियोजित कर्मकारों के पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने तथा उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोन्नत करने का है । इस अधिनियम का वर्ष, 1949, 1950, 1951, 1954, 1970 और 1976 में संशोधन किया जा चुका है । कारखाना अधनियम, 1948 में अंतिम संशोधन वर्ष 1987 में कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा किया गया था, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया से संबंधित एक पृथक् अध्याय अंतःस्थापित किया गया था ।

2. पिछले 20 वर्षों से अधिक में, जब अंतिम संशोधन किया गया था, अनेक घटनाएं घटित हो चुकी हैं । इन घटनाओं में विनिमार्ण की पद्धतियों में परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियों का उदभव, अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशनों, न्यायिक विनिश्चयों, समितियों की सिफारिशों और मुख्य कारखाना निरीक्षकों के सम्मेलनों में किए गए विनिश्चयों का अनुसमर्थन भी है ।

3. उपरोक्त घटनाओं और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, नियोजकों और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन विधेयक अर्थात् कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा संशोधन करने का विनिश्चिय किया गया है ।

4. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबंध है, अर्थात् :--

(क) अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करना, जिससे सभी कारखानों को, उनमें कर्मकारों की संख्या को विचार में लिए बिना, पेय जल से संबंधित उपबंध किया जा सके ;

(ख) अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करना, गर्भवती स्त्री या किसी नि:शक्त व्यक्ति को मशीनरी के गति में होने पर उस पर या उसके निकट काम करने से प्रतिषिद्ध किया जा सके ;

(ग) "रुई धुनकियों के पास स्त्रियों और बच्चों के नियोजन का प्रतिषेद्ध" से संबंधित विद्यमान धारा 27 का प्रतिस्थापन, जिससे ऐसे रुई के दबाने के कारखाने के किसी भाग में, जिसमें रुई धुनकी चल रही है, विद्यमान उपबंधों के अधीन युवा व्यक्तियों, गर्भवती स्त्रियों और नि:शक्त व्यक्तियों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जा सके ;

(घ) "आखों का बचाव" से संबंधित धारा 35क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, जिससे अधिभोगी पर उन कर्मकरों के लिए, जिन्हें परिसंकट हो सकते हैं, "व्यक्तिगत बचाव उपस्कर" का उपबंध करने की बाध्यता अधिरोपित की जा सके ;

(ङ) उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें परिरुद्ध स्थलों पर प्रवेश करना होता है, पर्याप्त सुविधाओं का उपबंध करने के लिए अधिनियम की "खतरनाक धूम, गैसों आदि के प्रति पूर्वावधानियां" से संबंधित विद्यमान धारा 36 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ;

(च) अधिनियम की "विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि" से संबंधित धारा 37 का संशोधन, जिससे विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि के विरुद्ध व्यवहार्य उपाय किए जा सकें ;

(छ) अधिनियम की "अधिष्ठाता द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण" से संबंधित धारा 41ख का संशोधन, जिससे कर्मकारों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके अपातकालीन योजना और आपदा नियंत्रण उपायों का उपबंध किया जा सके ;

(ज) अधिनियम की "कैंटीन" से संबंधित धारा 46 का संशोधन, जिससे कारखानों में दो सौ पचास कर्मकारों की वर्तमान संख्या के स्थान पर दो सौ या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों में कैंटीन की सुविधा का उपबंध किया जा सके ;

(झ) अधिनियम की "आश्रय, विश्रामकक्ष और भोजनकक्ष" से संबंधित धारा 47 का संशोधन, जिससे कारखानों में एक सौ पचास कर्मकारों की वर्तमान संख्या के स्थान पर पचहत्तर या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाले कारखानों में आश्रयों या विश्रामकक्षों और भोजनकक्षों का उपबंध किया जा सके ;

(ञ) अधिनियम की धारा 66 के स्थान पर एक नई धारा का, उसमें स्त्रियों के नियोजन पर और निर्बंधनों का उपबंध करते हुए प्रतिस्थापन ;

(ट) नई धारा 112क का अंत:स्थापन, जिससे केन्द्रीय सरकार को उपजीविका की सुरक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में या ऐसे अन्य विषय क्षेत्रों में, जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, एकरूपता लाने की दृष्टि से राज्य सरकारों से परामर्श करके नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ; और

(ठ) चौथी अनुसूची का, उसमें शमनीय अपराधों की सूची का उपबंध करते हुए अंत:स्थापन ।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
5 अगस्त, 2014

नरेन्द्र सिंह तोमर

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करता है । यह उपबंध केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान की तारीख और प्रस्तावित विधान के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 2 "परिसंकटमय प्रक्रिया", "परिसंकटमय पदार्थ", "कारखाना" और "विहित" की परिभाषाओं से संबंधित कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 3 कारखानों का अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन यदि कोई संयंत्र या मशीनरी प्रतिस्थापित करने से अथवा ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने से संयंत्र या मशीनरी के चारों ओर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम खुला स्थान कम नहीं होता है अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भाप, गर्मी या धूल या धूम के निष्कासन या निर्गमन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो केवल ऐसे प्रतिस्थापन अथवा अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि इस धारा के अर्थ में कारखाने का विस्तार हुआ है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जो इस प्रकार उपबंधित है कि यदि कोई संयंत्र या मशीनरी प्रतिस्थापित करने से अथवा ऐसी सीमाओं के भीतर जो विहित की जाएं कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनें लगाने से संयंत्र या मशीनरी के चारों ओर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अभिप्रेत न्यूनतम खुला स्थान कम नहीं होता है अथवा परिसंकटमय दशाओं के परिणामस्वरूप दुर्घटना या खतरनाक घटना कारित होने की संभावना है या कर्मकारों या जनता के स्वास्थ्य को क्षति या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भाप, गर्मी या धूल या धूम या रासायनिक या जैविक अपशिष्टों के निष्कासन या निर्गमन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव का किसी सक्षम व्यक्ति को लिखित में प्रमाणपत्र देना होगा । परंतु सक्षम व्यक्ति द्वारा दिया गया ऐसा प्रमाणपत्र अधिष्ठाता द्वारा लिखित में दिए गए प्रमाणपत्र तक विधिमान्य होगा ।

विधेयक का खंड 4 अधिष्ठाता द्वारा सूचना से संबंधित अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ङ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन कारखाने में स्थापित की जाने वाली कुल निर्धारित अश्व शक्ति जिसमें आपातोपयोगी किसी पृथक् संयंत्र की निर्धारित अश्व शक्ति सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ङ) में "अश्व शक्ति" शब्द के स्थान पर ब्रिटिश यूनिट से बदलने के क्रम में, मैट्रिक प्रणाली का "किलोवाट में शक्ति" शब्द रखे जाने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 5 कारखानों में प्रयोग के लिए वस्तुओं और पदार्थों की बाबत विनिर्माताओं आदि के साधारण कर्तव्यों से संबंधित अधिनियम की धारा 7ख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन जहां कोई व्यक्ति किसी वस्तु का, जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य है, यह सुनिश्चित करके कि वह वस्तु उचित रूप से प्रयोग की जाने पर सुरक्षित और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित होगी, डिजाइन, विनिर्माण, आयात या प्रदाय, ऐसी वस्तु के उपभोक्ता द्वारा लिखित रूप में इस वचनबंध के आधार पर कि वह ऐसे वचनबंध में विनिर्दिष्ट उपाय करेगा, करता है, वहां ऐसे वचनबंध का यह प्रभाव होगा कि वह उस वस्तु का डिजाइन, विनिर्माण, आयात या प्रदाय करने वाले व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा अधिरोपित कर्तव्य से उस विस्तार तक जो वचनबंध के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए उचित है, अवमुक्त करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) किसी व्यक्ति पर उत्तरदायित्व अधिरोपित करने के लिए प्रस्तावित है,-- (क) जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी वस्तु को परिनिर्मित या संस्थापन करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि, यथासाध्य, ऐसी वस्तु जो परिनिर्मित या संस्थापित की गई है ऐसे कारखाने में व्यक्तियों द्वारा जब उक्त वस्तु का उपयोग किया जाता है वह असुरक्षित या स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न न करती हो ; (ख) जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए कोई पदार्थ का विनिर्माण, आयात या प्रदाय करता है - (i) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा पदार्थ यथासंभव, सुरक्षित है और ऐसे कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य को कोई जोखिम अंतर्वलित नहीं है ; (ii) ऐसे पदार्थ के संबंध में ऐसी जांच और परीक्षण करेगा या करने के लिए व्यवस्था करेगा जो आवश्यक हों ; (iii) सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय करेगा जो आवश्यक हैं कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट पदार्थ के उपयोग के संबंध में किए जाने वाले परीक्षणों के परिणामों से संबंधित जानकारी किसी कारखाने में उसके सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बिना उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्तों के साथ उपलब्ध होगी ; (ग) जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी पदार्थ के विनिर्माण करता है या खोज की दृष्टि से किसी आवश्यक अनुसंधान को करने के लिए व्यवस्था करता है, यथासाध्य, स्वास्थ्य या सुरक्षा जो ऐसे पदार्थ के विनिर्माण या अनुसंधान करने में उत्पन्न हो सकती है, विलोपन या न्यूनीकरण करने को सुनिश्चित करेगा । "पदार्थ" शब्द को सम्मिलित करने के क्रम में उक्त धारा की उपधारा (6) और स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्तावित है ।

विधेयक का खंड 6 संवातन और तापमान से संबंधित अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों या उसके भागों के लिए, पर्याप्त संचालन और युक्तियुक्त तापमान का मान विहित कर सकेगी और निदेश दे सकेगी कि मापने के उचित उपकरणों को ऐसे स्थानों और ऐसी स्थिति में रखा जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसे अभिलेखों को बनाए रखा जाएगा जो विहित किए जाएं ।

उक्त धारा की उपधारा (2) इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए ।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 7 रोशनी के उपबंध से संबंधित अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार कारखाने के लिए या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त और यथोचित रोशनी विहित कर सकेगी ।

उक्त धारा की उपधारा (4) इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 8 पीने का जल के उपबंध से संबंधित अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन हर कारखाने में जहां दो सौ पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं गर्मी के मौसम में पीने के जल को प्रभावूर्ण साधनों से ठंडा करने और उसके वितरण के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (3) "जहां दो सौ पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं" शब्दों का लोप करके संशोधन करने का प्रस्ताव है । उक्त शब्दों के लोप द्वारा प्रत्येक और हरेक कारखाने पर यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कर्मकारों की संख्या को ध्यान में लाए बिना गर्मी के मौसम में प्रभावपूर्ण साधनों से ठंडा करने और उसके वितरण के लिए व्यवस्था करेगा ।

विधेयक का खंड 9 थूकदान के उपबंधों से संबंधित अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करती है । उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जो कोई उपधारा (3) का उल्लंघन करते हुए थूकेगा वह पांच रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा । उक्त धारा की उपधारा (4) का लोप करते हुए अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने का प्रस्ताव है । उक्त संशोधन "कतिपय अन्य मामलों में शास्ति" अर्थात् नई धारा 92ख के अंतःस्थापन द्वारा उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 10 मशीनरी पर बाड लगाना उपबंध से संबंधित अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त पूर्वावधानियां जैसी वह किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग के बारे में आवश्यक समझे, नियमों द्वारा विहित कर सकेगी या कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

उक्त धारा की उपधारा (2) इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 11 मशीनरी के गति में होने पर उस पर या उसके निकट

काम के उपबंधों से संबंधित अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को किसी मूलगति उत्पादक के या संचारण मशीनरी के किसी भाग की, जब मूलगति उत्पादक या संचारण मशीनरी गति में हों, सफाई, स्नेहन या समायोजन उस स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को उस मशीन के या किसी पार्श्वस्थ मशीनरी के किसी गतिमान भाग से क्षति की आंशका में डाल देगा तो उस मशीन किसी भाग की सफाई, स्नेहन या समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

"चुस्त कपड़े पहने (जो अधिष्ठाता द्वारा दिए जाएंगे) विशेष रूप से प्रशिक्षित उस वयस्क पुरुष कर्मकार" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "चुस्त कपड़े पहने (जो अधिष्ठाता द्वारा दिए जाएंगे) विशेष रूप से प्रशिक्षित उस वयस्क पुरुष कर्मकार या खुले बालों को आच्छादित करते हुए वयस्क स्त्री कर्मकार" शब्दों को रखते हुए धारा 22 की उपधारा (1) के संशोधन का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का "स्त्री" के स्थान पर, "गर्भवती स्त्री या कोई नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति" को प्रतिषिद्ध करने द्वारा संशोधन का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) इस प्रकार संशोधित करने का भी प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 12 खतरनाक मशीनों पर अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन से संबंधित अधिनियम की धारा 23 का संशोधन करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंध ऐसी मशीनों को लागू होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो ऐसी मशीनें होंगी जो उसकी राय में ऐसी खतरनाक प्रकार की हैं कि उन पर अल्पवय व्यक्तियों को तब तक काम नहीं करना चाहिए जब तक कि पूर्वगामी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर दी जाती ।

उक्त धारा की उपधारा (2) इस प्रकार संशोधित करने का भी प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 13 नई मशीनरी का आवेष्टन से संबंधित अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 26 का लोप करने का प्रस्ताव है । यह वस्तुओं के विनिर्माताओं, प्रदायकर्ताओं, जिसके अंतर्गत कारखाने में उपयोग होने वाली सुरक्षित मशीनरी को प्रदाय करने वाले विनिर्माताओं के उत्तरदायित्व भी हैं, धारा 7ख की उपधारा (5) को संशोधित करती है ।

विधेयक का खंड 14 रुई धुनकियों के पास स्त्रियों और बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन रुई दबाने के कारखाने के किसी ऐसे भाग में जिसमें रुई धुनकी चल रही हो, किसी स्त्री या बालक को नियोजित नहीं किया जाएगा । उक्त धारा का उपबंध यह कहता है कि यदि रुई-धुनकी का भराई-

सिरा ऐसे कमरे में हो जो निकासी सिरे से ऐसे विभाजक द्वारा पृथक् किया गया है जिसका विस्तार छत हो या जिसकी ऊँचाई इतनी हो जितनी निरीक्षक या किसी विशिष्ट मामले में लिखकर विनिर्दिष्ट करे तो स्त्रियों और बालकों को विभाजक के उस ओर नियोजित किया जा सकेगा जहां भराई-सिरा स्थित हो ।

उक्त धारा स्त्रियों के स्थान पर अल्पवय व्यक्तियों या गर्भवती स्त्रियों और नःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों को नियोजित करने से प्रतिषेध करने के लिए करने का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है ।

विधेयक का खंड 15 उत्तोलक और उत्थापक से संबंधित अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यदि किसी वर्ग या प्रकार के उत्तोलक या उत्थापक के बारे में राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (1) और उपधारा (2) की किसी अपेक्षा को प्रवृत्त करना अयुक्तियुक्त होगा तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसी अपेक्षा ऐसे वर्ग या प्रकार के प्रत्येक उत्तोलक या उत्थापक को लागू नहीं होगी ।

उक्त धारा की उपधारा (4) इस प्रकार संशोधित करने का भी प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 16 उत्थापक यंत्रों, जंजीरें, रस्सियां और उत्थापक टैकल से संबंधित अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार कारखानों में प्रयुक्त किए जाने वाले किसी उत्थापक यंत्र या किसी जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल के संबंध में- (क) इस धारा में उपवर्णित अपेक्षाओं के साथ-साथ अनुवर्तित की जाने वाली अतिरिक्त अपेक्षाएं विहित करने वाले ; (ख) इस धारा की सब अपेक्षाओं या उनमें से किसी के अनुवर्तन से, जहां उसकी राय में ऐसा अनुवर्तन अनावश्यक या असाधनीय हो, छूट के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी ।

उक्त धारा की उपधारा (2) इस प्रकार संशोधित करने का भी प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 17 दाब संयंत्र से संबंधित अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट जैसे किसी संयंत्र या मशीनरी की परीक्षा या परख के लिए उपबंध करने वाले और उससे संबंधित ऐसे अन्य सुरक्षा-उपाय जो उसकी राय में किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए आवश्यक हों, विहित करने वाले नियम बना सकेगी । उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि राज्य सरकार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी संयंत्र या मशीनरी के किसी भाग को इस धारा के उपबंधों से छूट नियमों द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेगी, जो उनमें विनिर्दिष्ट की जाएं ।

उक्त धारा की उपधारा (2) और उपधारा (3) इस प्रकार संशोधित करने का भी

प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 18 अत्यधिक वजन से संबंधित अधिनियम की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार ऐसे अधिकतम वजनों को विहित करने वाले नियम बना सकेगी जो कारखानों में या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने में या किसी विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के चलाने में नियोजित वयस्क पुरुषों, वयस्क स्त्रियों, कुमारों और बालकों के द्वारा उठाए, ले जाए या खिसकाए जा सकेंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (2) इस प्रकार संशोधित करने का भी प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 19 आंखों का बचाव से संबंधित अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार नियमों द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि क्रिया में या ठीक पास नियोजित व्यक्तियों के बचाव के लिए यथोचित पर्दों या गागलों की व्यवस्था की जाए जिससे प्रक्रिया के अनुक्रम में छिटकने वाले कण या खंडो से आंखों की क्षति की जोखिम या अत्यधिक रोशनी पड़ने के कारण आंखों की जोखिम से सुरक्षा की जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (2) इस प्रकार संशोधित करने का भी प्रस्ताव है कि "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जाए । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 20 व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर नई धारा 35क को अंतःस्थापित करने के लिए है और कार्य में अंतर्वलित परिसंकटमय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कर्मकारों को संरक्षा वस्त्र के संबंध में है । उक्त खंड राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और संरक्षा वस्त्रों को उनकी क्वालिटी मानकों को उनके उपयोग करने की दशाओं और अनुरूपता के संबंध में उनकी प्रभाविकता को सुनिश्चित करने की दृष्टि के साथ विहित करने के लिए नियम बना सकेंगी ।

विधेयक का खंड 21 खतरनाक धूम, गैसों आदि के प्रति पूर्वावधानियों से संबंधित अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां कोई व्यक्ति किसी कारखाने में किसी कोष्ठ, टंकी, कुंड, गर्त, पाइप फ्ल्यू या अन्य परिरुद्ध स्थान में, जहां किसी गैस, धूम, वाष्प या धूल के इतने अधिक मात्रा में विद्यमान होने की संभावना है, जिससे व्यक्ति के अभिभूत हो जाने का खतरा है, की परिस्थितियों के संबंध में कतिपय उपबंध करती है ।

विधेयक का खंड 22 विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि से संबंधित अधिनियम की धारा 37 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां किसी

कारखाने में, किसी विनिर्माण प्रक्रिया से इस प्रकार की और इतनी धूल, गैस, धूम या वाष्प पैदा होती है कि उसके ज्वलन से विस्फुटित होने की संभाव्यता हो, वहां ऐसे किसी विस्फोटक को रोकने के लिए सब साध्य उपाय निम्नलिखित रूप से किए जाएंगे-- (क) प्रक्रिया में प्रयुक्त संयंत्र या मशीनरी का प्रभावी आवेष्टन ; (ख) ऐसी धूल, गैस, धूम या वाष्प के संचय का हटाना या निवारित करना ; (ग) ज्वलन के सब संभव स्रोतों का अपवर्जन या प्रभावी आवेष्टन ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का इस प्रकार संशोधन का प्रस्ताव है कि अपरिष्कृत सामग्री, मध्यवर्ती उत्पाद या अंतिम उत्पाद की किसी विनिर्माण प्रक्रिया, भंडारण या उठाई-धराई से इस प्रकार की इतनी धूल, गैस, धूम या वाष्प इतनी सीमा तक उत्पन्न होती है जिससे के परिणामस्वरूप उसके ज्वलन से आग या विस्फुटित होने की संभाव्यता हो, वहां ऐसे किसी आग या विस्फोट को रोकने के लिए सबसाध्य उपाय निम्नलिखित रूप में किए जाएंगे । नई उपधारा (4क) का अंतःस्थापन का भी प्रस्ताव है कि किसी कारखाने में यदि कोई ज्वलनशील गैस, धूम या धूल ऐसे किसी क्षेत्र में उपस्थित होने की संभावना है उक्त क्षेत्र में विद्युत उपस्कर, उपकरण और फीटिंग राष्ट्रीय विद्युत कोड के अनुसार चयनित, संस्थापित और अनुरक्षित होंगे तथा संबंधित राष्ट्रीय मानकों या जहां राष्ट्रीय मानक उपलब्ध नहीं है अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे ।

नई उपधारा (4ख) का अंतःस्थापन का भी प्रस्ताव है कि उपधारा (4क) में निर्दिष्ट विद्युत उपस्करों, उपकरणों और फिटिंग्स कारखाने में उपयोग से पहले महानिदेशक, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित होंगे ।

विधेयक का खंड 23 आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां से संबंधित अधिनियम की धारा 38 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या वर्णन के कारखानों की बाबत, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की अपेक्षा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जा सकें । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 24 सुरक्षा अधिकारियों से संबंधित अधिनियम की धारा 40ख का संशोधन करने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक कारखाने में,- (i) जिसमें एक हजार या उससे अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हैं, या (ii) जिसमें राज्य सरकार की राय में कोई विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया की जाती है जो ऐसी प्रक्रिया या संक्रिया है जिसमें कारखाने में नियोजित व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या बीमारी की जोखिम या स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य खतरा है, अधिष्ठाता, यदि उससे शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई है तो, उतनी संख्या में सुरक्षा अधिकारियों को नियोजित करेगा जितनी कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए । (2) सुरक्षा

अधिकारियों के कर्तव्य, अर्हताएं और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

उक्त धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जा सकें । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 25 स्थल मूल्यांकन समितियों के गठन से संबंधित अधिनियम की धारा 41क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जा सकें । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 26 अधिष्ठाता द्वारा सूचना के अनिवार्य प्रकटन से संबंधित अधिनियम की धारा 41ख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन से, स्थल संबंधी आपात योजना तैयार करेगा और अपने कारखाने के लिए विस्तृत संकट नियंत्रण उपाय करेगा तथा किसी दुर्घटना होने की दशा में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उसमें नियोजित कर्मकारों और कारखाने के आस-पास रहने वाले जनसाधारण की जानकारी में लाएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि (क) ऐसे परिमाण के समतुल्य या अधिक जो विहित की जाए, ऐसे परिसंकटमय पदार्थों का विनिर्माण, भंडारण या उठाई-धराई में अंतर्वलित किसी कारखाने का अधिष्ठाता कर्मकारों के प्रतिनिधियों के परामर्श से स्थल पर आकस्मिकता योजना और ऐसे कारखाने के लिए विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय तैयार करेगा और उसे मुख्य निरीक्षक और अन्य प्राधिकारियों को जानकारी के लिए भेजेगा जो विहित किए जाएं । (ख) कारखाने का अधिष्ठाता कारखाने में नियोजित कर्मकारों और कारखाने के आसपास रहने वाले जनसाधारण को उपर्युक्त उपखंड (क) के अधीन किसी दुर्घटना होने की दशा में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों के स्थल पर आकस्मिक योजना और तैयार किए गए विस्तृत आपदा नियंत्रण उपायों की जानकारी में लाएगा । इस उपधारा के परंतुक में यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा परिसर में परिसंकटमय सामग्री की मात्रा को ध्यान में लाए बिना परिसंकटमय संक्रिया करने वाले किसी कारखाने के लिए अपेक्षित स्थलीय आकस्मिक योजना और आपदा नियंत्रण उपाय तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे "लगा हुआ है" शब्दों के स्थान पर, "लगी है" शब्द रखे जा सकें और "प्रारंभ से पूर्व" शब्दों के पश्चात्, "कम से कम" शब्द अंतःस्थापित किए जा सकें ।

विधेयक का खंड 27 अधिष्ठाता का परिसंकटमय प्रक्रियाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट

उत्तरदायित्व से संबंधित अधिनियम की धारा 41ग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अंतर्वलित है, अधिष्ठाता- (क) कारखाने में ऐसे कर्मकारों के, यथास्थिति, शुद्ध और अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख या चिकित्सा संबंधी अभिलेख रखेगा जो किसी रासायनिक, विषैले या किन्हीं ऐसे अन्य हानिप्रद पदार्थों के प्रति उच्छन्न हैं जो विनिर्मित किए जाते हैं, भंडार में रखे जाते हैं, उठाए-धरे या परिवहन किए जाते हैं और ऐसे अभिलेख, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कर्मकारों की पहुंच में होंगे ।

उक्त धारा के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा को अधिक व्यापक बनाने के लिए "रासायनिक, विषैले या किन्हीं अन्य हानिप्रद पदार्थों" शब्दों के स्थान पर, "परिसंकटमय पदार्थ" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का खंड 28 केंद्रीय सरकार की जांच समिति नियुक्त करने की शक्ति से संबधित अधिनियम की धारा 41घ का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 41घ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार, किसी परिसंकटमय प्रक्रिया में लगे कारखाने में असाधारण स्थिति होने की दशा में एक जांच समिति नियुक्त कर सकेगी, जो कारखाने में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विहित किन्हीं उपायों या स्तरमानों के अपनाए जाने की किसी चूक या उपेक्षा के कारणों का या ऐसी चूक या उपेक्षा के कारण प्रभावित या प्रभावित होने वाले जनसाधारण का पता लगाने की दृष्टि से कारखाने में अनुपालित स्वास्थ्य और सुरक्षा के स्तरमानों की तथा भविष्य में ऐसे कारखाने में या अन्यत्र ऐसी असाधारण स्थितियों को रोकने और पुनः न होने के लिए जांच करेगी ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा को अधिक व्यापक बनाने के लिए "रोकने और पुनः न होने के लिए" शब्दों के स्थान पर, "पुनः न होने से रोकने के लिए" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का खंड 29 आपात स्तरमानों से संबंधित अधिनियम की धारा 41ङ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सुरक्षा के स्तरमान किसी परिसंकटमय प्रक्रिया या परिसंकटमय प्रक्रियाओं के वर्ग की बाबत विहित नहीं किए गए हैं अथवा जहां इस प्रकार विहित स्तरमान अपर्याप्त हैं, वहां वह कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थानों के महानिदेशक या परिसंकटमय प्रक्रियाओं में सुरक्षा के स्तरमानों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त किसी संस्था को ऐसी परिसंकटमय प्रक्रियाओं की बाबत उपयुक्त स्तरमानों के प्रवर्तन के लिए आपात स्तरमान अधिकथित करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थानों के महानिदेशक" को पुनः नामित करके "महानिदेशक, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य" के कारण "कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थानों के महानिदेशक" शब्दों के स्थान पर, "महानिदेशक,

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का खंड 30 रासायनिक और विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अनुज्ञेय सीमाओं से संबधित अधिनियम की धारा 41च का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रियाओं (चाहे वे परिसंकटमय हों या अन्यथा) में रासायनिक और विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं उस मान तक होंगी जो दूसरी अनुसूची में उपदर्शित हैं ।

धारा को अधिक व्यापक बनाने के लिए "विनिर्माण प्रक्रियाओं (चाहे वह परिसंकटमय हों या अन्यथा) में रासायनिक या विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्माण प्रक्रियाओं में रासायनिक या विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अधिकतम सीमाएं" शब्द रखने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 31 सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित अधिनियम की धारा 41छ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार, लिखित रूप में आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग के अधिष्ठाता को ऐसी समिति का गठन करने से छूट दे सकेगी ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखने के लिए है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 32 परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित नियम बनाने की शक्ति से संबंधित नई धारा 41झ को अंतःस्थापित करने के लिए है । उक्त खंड में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बना सकेगी - (क) परिसंकटमय प्रक्रियाओं में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों को विनिर्दिष्ट करना ; (ख) परिसंकटमय प्रक्रियाओं में अंतर्वलित विनिर्माण भंडारण या उठाई-धराई में अल्पवय व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और वयस्क कर्मकारों के किसी वर्ग को नियोजन से प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करना; (ग) परिसंकटमय पदार्थों के उपयोग को प्रतिषिद्ध निर्बंधित या नियंत्रित करना ।

विधेयक का खंड 33 प्राथमिक उपचार साधित्रों से संबधित अधिनियम की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जा सकें । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 34 कैंटीन से संबधित अधिनियम की धारा 46 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि विनिर्दिष्ट कारखाने में, जिसमें ढाई सौ से अधिक

कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं, कर्मकारों के उपयोग के लिए अधिष्ठाता द्वारा कैंटीन या कैंटीनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा । उक्त धारा को प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक कारखाने में जहां दो सौ या अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं कर्मकारों के उपयोग के लिए अधिष्ठाता द्वारा कैंटीन या कैंटीनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा ।

यह कैंटीनों से संबंधित कतिपय उपबंधों पर और विद्यमान कारखानों के लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् बारह मास से अनधिक की अवधि के लिए कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा को शिथिल करने के लिए मुख्य निरीक्षक को सशक्त करने हेतु भी राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति भी प्रदत्त करता है ।

विधेयक का खंड 35 आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष से संबधित अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन हर ऐसे कारखाने में, जिसमें डेढ़ सौ से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हों, पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय या विश्राम कक्ष और पीने के पानी की व्यवस्था सहित ऐसे उपयुक्त भोजन कक्ष, जहां कर्मकार अपने द्वारा लाया खाना खा सकें, कर्मकारों के उपयोग के लिए उपलभ्य होंगे और अनुरक्षित रखे जाएंगे । उक्त धारा का परंतुक यह बताता है कि धारा 46 के उपबंधों के अनुसार चलाई गई कोई कैंटीन इस उपधारा की अपेक्षाओं के भागरूप मानी जाएंगी ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे प्रत्येक कारखाने के नियोजक पर आश्रय और विश्राम कक्ष का उत्तरदायित्व अधिरोपित किया जा सके, जिसमें सामान्यतया पचहत्तर कर्मकार नियोजित हों । इस खंड में "उपयुक्त आश्रय या विश्राम कक्ष" शब्दों के स्थान पर, "पुरुष और स्त्री कर्मकारों के लिए उपयुक्त तथा पृथक आश्रय या विश्राम कक्ष" शब्द भी रखे गए हैं । इस खंड में नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव भी है जिससे मुख्य निरीक्षक को आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजनकक्ष की सुविधा उपलब्ध कराने को विद्यमान कारखानों के लिए बारह माह से अनधिक किसी अवधि के लिए कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् शिथिल करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 36 विस्तृति से संबंधित अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 56 के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन मुख्य निरीक्षक उन कारणों, जो लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, विस्तृति को बढ़ाकर बारह घंटे तक की कर सकेगा ।

उक्त परंतुक खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है, वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय विस्तार की अवधि को किसी कारखाने में या कारखानों के समूह या वर्ग या विवरण में 12 घंटों तक बढ़ा सकेगी ।

विधेयक का खंड 37 अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी से संबंधित अधिनियम की धारा 59 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 59 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के अधीन ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि

उन दिनों के लिए, जिन पर कर्मकार ने वास्तविक रूप से कार्य किया, उपार्जन की संगणना करने के लिए कितने भत्ते पर विचार किया जाना है ।

स्पष्टीकरण खंड का ऐसे भत्तों पद को स्पष्ट करके संशोधन करने का प्रस्ताव है । "ऐसे भत्तों" से सभी भत्ते, उन भत्तों के सिवाय, जो पूरक प्रकृति के हैं, जैसे मकान किराया भत्ता, परिवहन और लघु कुटुंब भत्ता, अभिप्रेत हैं ।

विधेयक का खंड 38 छूट देने वाले नियम बनाने वाली शक्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 64 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (iv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन अतिकाल के घंटों की कुल संख्या किसी एक तिमाही के लिए पचास से अधिक नहीं होगी ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी किसी एक तिमाही के लिए अतिकाल के घंटों की कुल संख्या पचास से बढ़ाकर सौ कर दी जाए । उक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे "बनाए गए नियम" शब्दों के स्थान पर, "कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ होने से पूर्व बनाए गए नियम" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का खंड 39 छूट का आदेश देने की शक्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 65 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (iv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी भी कर्मकार को लगातार सात दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी तिमाही में समयोपरि कार्य के घंटों की कुल संख्या पचहत्तर से बढ़ाकर एक सौ पद्रह की जा सके । उक्त उपधारा में स्पष्टीकरण के पश्चात् एक परंतुक को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे राज्य सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक को, आदेश द्वारा किसी तिमाही में समयोपरि कार्य के कुल घंटों को जनहित में एक सौ पच्चीस घंटों तक बढ़ाने के लिए समर्थ सके ।

विधेयक का खंड 40 स्त्रियों के नियोजन पर अतिरिक्त निर्बंधनों से संबंधित अधिनियम की धारा 66 के स्थान पर नई धारा 66 को रखे जाने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध स्त्रियों के नियोजन पर अतिरिक्त निर्बंधन के उपबंध करते हैं कि- (क) किसी स्त्री के बारे में धारा 54 के उपबंधों से कोई छूट नहीं दी जाएगी ; (ख) किसी कारखाने में किसी स्त्री से 6 बजे प्रातः और 7 बजे सायं के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ; (ग) कोई पारी किसी साप्ताहिक अवकाश दिन या अन्य अवकाश दिन के पश्चात् बदलने के सिवाय नहीं बदली जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि राज्य सरकार उपधारा (1) में उपवर्णित निर्बंधनों से, मत्स्य-संसाधन या मत्स्य-डिब्बाबन्दी के ऐसे कारखाने में,

जिनमें किसी कच्ची सामग्री को नुकसान या बिगाड़ से बचाने के लिए स्त्रियों का नियोजन उक्त निर्बधनों में विनिर्दिष्ट घंटों से आगे भी आवश्यक हो, काम करने वाली स्त्रियों को इतने विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसे वह विहित करे, छूट उपबंधित करने वाले नियम बना सकेगी ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियम एक समय पर तीन वर्ष से अनधिक के लिए प्रवृत्त रहेंगे ।

उक्त धारा के स्थान पर नई धारा 66 रखने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारखाने में वृत्तिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, आश्रय का उपबंध, विश्राम गृह, भोजन गृह, रात्रि शिशुकक्ष और महिलाओं के लिए शौचालय, स्त्री कार्मिकों के लिए समान अवसर, उनकी मर्यादा, सम्मान और सुरक्षा, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और कारखाना परिसर से उनके निवास तक परिवहन के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय विद्यमान हैं, तो वह स्त्री कार्मिकों के साथ सम्यक परामर्श और नियोजकों के प्रतिनिधि संगठनों तथा संबंधित कारखाने या कारखानों के समूह या वर्ग या विवरण के कार्मिकों के प्रतिनिधि संगठनों की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विहित की जांए, ऐसे कारखाने में स्त्रियों को 7 बजे सायं से 6 बजे प्रातः के बीच कार्य करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी स्त्री को उसके द्वारा शिशु को जन्म देने से पूर्व या उसके पश्चात् 16 सप्ताह की अवधि के दौरान जिसमें से कम से कम आठ सप्ताह संभावित शिशु जन्म से पूर्व होंगे और ऐसी अतिरिक्त अवधि यदि कोई है, जैसाकि किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र में यह विनिर्दिष्ट करते हुए यह अधिकथित हो कि स्त्री कार्मिक या बालक के स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना अपेक्षित है, किसी स्त्री कार्मिक को ऐसी कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि यह कथन करते हुए कि न तो स्त्री के न ही बालक के स्वास्थ्य को कोई संकट है, किसी स्त्री के अविभक्त अनुरोध पर चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ववर्ती परंतुक में अंतर्विष्ट निर्बंधन से छूट दी जा सकेगी ।

विधेयक का खंड 41 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबधित अधिनियम की धारा 76 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार कारखानों में काम करने वाले बालकों और कुमारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शारीरिक मानों को विहित करने के वाले नियम बना सकेगी । इस खंड का लोप करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 42 विधि के कतिपय उपबंधों का अर्जित न होने से संबधित धारा 77 का संशोधन करने के लिए है । अधिनियम की धारा 77 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन से सबंधित अध्याय 7 के उपबंध बालक नियोजन अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में ।

उक्त धारा का संशोधन करना प्रस्तावित है जिससे बालक नियोजन अधिनियम, 1938 के स्थान पर बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों को उक्त अधिनियम में अंगीकार किया जा सके ।

खंड 43--विधेयक का उक्त खंड मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी से संबंधित धारा 79 का संशोधन करने के लिए है ।

उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, प्रत्येक कर्मकार जिसने किसी कारखाने में किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान 240 या अधिक दिन कार्य किया है को पश्चात्वर्ती कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित के अनुसार संगणित दिनों की संख्या के बराबर मजदूरी सहित छुट्टी अनुज्ञात की जाएगी- (i) वयस्क की दशा में पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक 20 कार्यदिवस के लिए एक दिन; (ii) बालक की दशा में पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक 15 कार्यदिवस के लिए एक दिन ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि 240 दिन से दिन के कार्य की अवधि की संगणना को कम करके 90 दिन किया जाए ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कार्य की अवधि की संगणना को 240 दिन से कम करके 90 दिन किया जाए । उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि "दो तिहाई" शब्दों के स्थान पर, "एक चौथाई" शब्द रखे जाएं जिससे धारा को अधिक समग्र बनाया जा सके ।

खंड 44--विधेयक खतरनाक संक्रियाओं से संबंधित धारा 87 का संशोधन करने के लिए है

अधिनियम की धारा 87 के खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां राज्य सरकार की यह राय है कि किसी कारखाने में चलाई जाने वाली कोई विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया ऐसी है कि वह उसमें नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या रोग के गंभीर जोखिम में डाल देती है वह किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को जिनमें वह विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया चलाई जा रही हो लागू होने वाले ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें महिलाओं, अल्पवय व्यक्तियों या बालकों का विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया में नियोजन का प्रतिषेध या उस पर प्रतिबंध लगा सकेगी ।

उक्त धारा के खंड (ख) के प्रचालन भाग का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अल्पवय व्यक्तियों या स्त्रियों या नि:शक्त व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 45--विधेयक का खंड 45 सूचना से संबंधित अधिनियम की धारा 88 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सकरार उक्त धारा के अधीन जांच की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि केन्द्रीय

सरकार या राज्य सरकार शब्दों को रखा जा सके । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

खंड 46--विधेयक का खंड 46 कतिपय रोगों से संबंधित अधिनियम की धारा 89 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल होता है तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का लोप करने का प्रस्ताव है । उक्त प्रस्ताव नई धारा 92ख अर्थात् "कतिपय अन्य मामलों में शास्तियां" के अंत:स्थापन के कारण पारिणामिक प्रकृति का है ।

खंड 47–दुर्घटना या रोग की दशाओं में जांच निर्दिष्ट करने की शक्तियों से संबंधित अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, राज्य सरकार उक्त धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त है । उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जा सके । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

खंड 48–अधिनियम की धारा 91क का संशोधन करने के लिए है जो सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "महानिदेशक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशक" शब्दों के स्थान पर, महानिदेशक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशक के नाम को परिवर्तित करके महानिदेशक, व्यवसाय, सुरक्षा और स्वास्थ्य करने के कारण "महानिदेशक, व्यवसाय, सुरक्षा और स्वास्थ्य" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का **खंड 49** अधिनियम की अपराधों के लिए सामान्य शास्तियों से संबंधित धारा 92 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के अध्याय 1, अध्याय 3 (धारा 11, धारा 18, धारा 19 और धारा 20 के सिवाय), अध्याय 4, अध्याय 4क (धारा 41ख, 41ग और 41ज के सिवाय), अध्याय 7 और अध्याय 9 (धारा 89 के सिवाय) के उपबंधों के उल्लंघन की दशा में कारखाने का अधिष्ठाता और प्रबंधक कारावास की ऐसी अवधि से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी भी दशा में यह तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा । यह और प्रस्ताव है कि (i) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी उपबंध के उल्लंघन से ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हुई है तो जुर्माना पचहत्तर हजार रुपए से कम नहीं होगा ; (ii) यदि उल्लंघन उपधारा (1) के अधीन दोषसिद्धि के पश्चात् भी जारी रहता है तो कारखाने का अधिष्ठाता और प्रबंधक अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; (iii)

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपधारा (1) के अधीन वर्णित से भिन्न, जिसके लिए किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, उनके अधीन किए गए किसी लिखित आदेश के अधीन उपबंधों के उल्लंघन की बाबत कारखाने का प्रत्येक अधिष्ठाता और प्रबंधक अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो एक लाख पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और यदि उल्लंघन दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । यह और प्रस्ताव है कि अधिष्ठाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शास्तियों के विभिन्न उपबंधों को समेकित किया जाए ।

यह और प्रस्ताव है कि अधिष्ठाता से भिन्न अन्य व्यक्तियों, जैसे सक्षम व्यक्ति, चिकित्सा व्यवसायी या अन्य कर्मकार, द्वारा अपराधों के लिए शास्तियों के लिए नई धारा 92ख अंतःस्थापित की जाए । यदि खंड 2 (गक) के अधीन नियुक्त कोई सक्षम व्यक्ति अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । यह और प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 20, धारा 89, धारा 97 और धारा 111 में पारिणामिक संशोधन किए जाएं । अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों, अर्थात् धारा 92ग, जो कतिपय अपराधों के उपशमन से संबंधित है, की बाबत भी उपशमन करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 50,** कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी के दायित्व से संबंधित अधिनियम की धारा 93 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 93 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी पर दायित्व अधिरोपित किया जा सके । परिसर के स्वामी को उक्त धारा के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए दंडित करने का भी प्रस्ताव है मानो कि वह किसी कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक है और वह तदनुसार धारा 92 के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 51** पूर्वत्तम दोषसिद्धि के पश्चात् वर्धित शास्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "दस हजार रुपये से कम नहीं होगा किंतु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "चालीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किंतु छह लाख रुपये तक का हो सकेगा" शब्द रखे जा सके ।

नई उपधारा (1अ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 92क के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है, पर किसी अपराध का फिर दोषी है जिसमें समान उपबंध का उल्लंघन अंतवर्लित है, वह पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर-- (i) धारा 92क की उपधारा (1) के उल्लंघन की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो चालीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किंतु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से ; और (ii) धारा 92क की उपधारा (2) के उल्लंघन की

दशा में कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "और उपधारा (1अ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जा सके ।

खंड 52, निरीक्षक को बाधित करने के लिए शास्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जो कोई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन निरीक्षक को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग में उसे जानबूझकर बाधित करेगा या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में अपनी अभिरक्षा में रखे गए किन्हीं रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षक की मांग पर पेश करने में असफल होगा या कारखाने में किसी कर्मकार को निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने या उसके द्वारा परिक्षित किए जाने से छिपाएगा या रोकेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे शास्ति को दस हजार रुपए से बढ़ाकर तीस हजार रुपए किया जा सके ।

खंड 53, धारा 91 के अधीन विश्लेषण के परिणाम को दोषपूर्णतया प्रकट कर देने के लिए शास्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 96 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जो कोई धारा 91 के अधीन विश्लेषण के परिणाम का दोषपूर्णतया प्रकटन करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे शास्ति को दस हजार रुपए से बढ़ाकर तीस हजार रुपए किया जा सके ।

खंड 54, धारा 41ख, 41ग और 41ज के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 96क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जो काई धारा 41ख, 41ग या 41ज के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किंहीं उपबंधों का पालन करने में असफल रहेगा या उनका उल्लंघन करेगा, वह ऐसी असफलता के उल्लंघन की बाबत कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसी असफलता या ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे शास्ति को दो लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपए किया जा सके और पांच हजार रुपये से बढ़ाकर पंद्रह हजार रुपए करने का प्रस्ताव है ताकि उपबंधों को अधिक कठोर बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 55,** कर्मकारों द्वारा अपराध से संबंधित अधिनियम की धारा 97 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि धारा 111 के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि यदि कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के किसी उपबंध का, जो कर्मकारों पर कोई कर्तव्य या दायित्व अधिरोपित करता है, उल्लंघन करेगा, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अधिनियम की धारा 111 को निर्दिष्ट करते हुए इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शास्ति के उपबंधों को लोप किया जा सके । उक्त प्रस्ताव नई धारा 92ख के अंत:स्थापन अर्थात् कतिपय दशाओं में शास्ति के कारण पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का **खंड 56,** मिथ्या योग्यता प्रमाणपत्र प्रयुक्त करने के लिए शास्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 98 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 98 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जो कोई धारा 70 के अधीन अन्य व्यक्ति को दिए गए किसी योग्यता प्रमाणपत्र को उस धारा के अधीन अपने को अनुदत्त योग्यता प्रमाणपत्र के रूप में जानबूझकर प्रयुक्त करेगा या प्रयुक्त करने का प्रयत्न करेगा अथवा जो ऐसा प्रमाणपत्र उपाप्त कर चुकने के पश्चात् उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा जानबूझकर प्रयोग में लाने देगा या प्रयोग में लाने का प्रयत्न करने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपबंधों को अधिक कठोर बनाने के लिए शास्ति को एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपए किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 57,** बालक का दोहरा नियोजन अनुज्ञात करने के लिए शास्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 99 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जो कोई बालक किसी कारखाने में किसी ऐसे दिन काम करेगा, जिस दिन वह पहले ही अन्य कारखाने में काम करता रहा है, तो उस बालक की माता या पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में या नियंत्रण में वह है या जो उसकी मजदूरी से कोई प्रत्यक्ष फायदा अभिप्राप्त करता है, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । जब तब न्यायालय को यह प्रतीत न हो कि बालक ने ऐसा काम उस माता या पिता या संरक्षक या व्यक्ति की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपबंधों को अधिक कठोर बनाने के लिए शास्ति को एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपए किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 58,** न्यायालय को आदेश देने की शक्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 102 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपबंधों को अधिक कठोर बनाने के लिए शास्ति को एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपए किया जा सके ।

विधेयक का खंड 59, आयु के विषय में सिद्धिभार से संबंधित अधिनियम की धारा 104 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जब कोई कार्य या लोप किसी व्यक्ति के किसी विशेष आयु से कम का होने पर इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध होता और ऐसा व्यक्ति न्यायालय की राय में प्रथमदृष्ट्या ऐसी आयु से कम का है तब यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी आयु से कम का नहीं है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रमाणित करने वाले शल्य चिकित्सक या बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उस कर्मकार के संबंध में यह लिखित में घोषणा करेगा कि उसने स्वयं ऐसे कर्मकार की परीक्षा की है और ऐसी घोषणा में यह अधिकथित करेगा कि ऐसा कर्मकार आयु में कम है या अधिक आयु का है इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए ज्ञात कर्मकार की आयु का विनिश्चित साक्ष्य होगा ।

विधेयक का **खंड 60,** कर्मकार की बाध्यताएं से संबंधित अधिनियम की धारा 111 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार, इस धारा या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

अधिनियम की धारा 111 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपधारा (2) का लोप किया जा सके । उक्त प्रस्ताव नई धारा 92ख अर्थात् "कतिपय अन्य मामलों में शास्तियां" के अंत:स्थापन के कारण पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का **खंड 61,** नियम बनाने की साधारण शक्ति से संबंधित अधिनियम की धारा 112 का संशोधन करने के लिए है । उक्त खंड राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

धारा 112 का, "धारा 112क में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्द अंत:स्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे राज्य सरकारों को वहां नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके, जहां केंद्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त नहीं किया गया है ।

विधेयक का **खंड 62,** एक नई धारा 112क, अर्थात् "केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति" अंत:स्थापित करने के लिए है ।

उक्त खंड केंद्रीय सरकार को, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या ऐसे अन्य

मामलों में, जैसा वह आवश्यक समझे, एकरूपता लाने की दृष्टि से और राज्य सरकारों के परामर्श से नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियमों का संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखना अपेक्षित है ।

विधेयक का **खंड 63,** अधिनियम की पहली अनुसूची का लोप करने के लिए है । उक्त अनुसूची उन उद्योगों की सूची को विनिर्दिष्ट करती है जिसमें खतरनाक प्रक्रियाएं अंतर्वलित हैं । उक्त प्रस्ताव "खतरनाक प्रक्रियाओं" की परिभाषा से संबंधित अधिनियम की धारा 2 के खंड (गख) में संशोधन और "खतरनाक पदार्थ" पद की परिभाषा से संबंधित नए खंड (गग) का पारिणामी है ।

विधेयक का **खंड 64,** अधिनियम की तीसरी अनुसूची के पश्चात् एक नई अनुसूची अंत:स्थापित करने के लिए है, जो उपशमनीय अपराधों की सूची का उपबंध करता है । उक्त प्रस्ताव पारिणामिक प्रकृति का है ।

वित्तीय ज्ञापन

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 की कोई वित्तीय विविक्षा नहीं है । अतः वित्त मंत्रालय से परामर्श अपेक्षित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 6 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों या उसके भागों के लिए पर्याप्त संवातन और युक्तियुक्त तापमान का मान विहित करने और यह निदेश देने कि मापने के उचित उपकरणों को ऐसे स्थानों और ऐसी स्थिति में रखा जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसे अभिलेखों को बनाए रखा जाएगा, जो विहित किए जाएं, के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 7 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा कारखाने के लिए या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त और यथोचित रोशनी विहित करने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

3. विधेयक का खंड 10 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा ऐसी अतिरिक्त पूर्वावधानियां जैसी वह किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग के बारे में आवश्यक समझे, विहित करने के लिए नियम बनाने या कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाए, किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग को धारा 21 (2) के उपबंधों से छूट देने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

4. विधेयक का खंड 11 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने में मशीनरी के विनिर्दिष्ट भागों की, जब वे गति में हों, किसी व्यक्ति द्वारा सफाई, स्नेहन या समायोजन प्रतिषिद्ध करने के लिए नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

5. विधेयक का खंड 12 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा खतरनाक मशीनों पर अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन को निर्बंधित करने के लिए नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

6. विधेयक का खंड 15 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा उत्तोलक और उत्थापक के बारे में नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

7. विधेयक का खंड 16 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा कारखानों में प्रयुक्त किसी उत्थापक यंत्र या किसी जंजीर या रस्सी या उत्थापक टैकल के संबंध में, इस धारा में उपवर्णित अपेक्षाओं के साथ-साथ अनुवर्तित की जाने वाली अतिरिक्त अपेक्षाएं या धारा 29 की सब अपेक्षाओं या उनमें से किसी के अनुवर्तन से, जहां उसकी राय में ऐसा अनुवर्तन अनावश्यक या असाधनीय हों, छूट के लिए विहित करने वाले नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

8. विधेयक का खंड 17 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा किसी संयंत्र या मशीनरी की परीक्षा या परख के लिए उपबंध करने वाले और उससे संबंधित ऐसे अन्य सुरक्षा-उपाय जो उसकी राय में किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए आवश्यक हों, विहित करने वाले या उसमें विनिर्दिष्ट किसी संयंत्र या मशीनरी के किसी भाग को धारा 31 के उपबंधों से छूट ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए देने के लिए नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

9. विधेयक का खंड 18 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकतम वजनों को विहित करने वाले जो कारखानों में या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में या किसी विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के चलाने में नियोजित वयस्क पुरुषों, वयस्क स्त्रियों, कुमारों और बालकों के द्वारा उठाए, ले जाए या खिसकाए जाने के संबंध में नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

10. विधेयक का खंड 19 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा किसी विहित विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में, जिसमें प्रक्रिया के अनुक्रम में छिटकने वाले कणों या खंडों से आंखों को क्षति का जोखिम या अत्यधिक रोशनी पड़ने के कारण आंखों को जोखिम अंतर्वलित है, क्रिया में या ठीक पास नियोजित व्यक्तियों के बचाव के लिए यथोचित पर्दों या गागलों की व्यवस्था करने के संबंध में नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

11. विधेयक का खंड 20 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा उपयोग की दशाओं में और उनकी क्वालिटी मानकों की अनुरूपता के संबंध में उनकी प्रभाविकता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर और संरक्षा वस्त्रों के अनुरक्षण, जारी किए जाने के मानकों को विहित करने के लिए नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

12. विधेयक का खंड 23 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा किसी कारखाने या किसी वर्ग या वर्णन के कारखानों की बाबत धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की अपेक्षा करने के लिए नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

13. विधेयक का खंड 24 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, अर्हताएं और सेवा की शर्तें विहित करने के अतिरिक्त, सशक्त करता है ।

14. विधेयक का खंड 25 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा स्थल मूल्यांकन समितियों का गठन करने से संबंधित नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

15. विधेयक का खंड 31 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा समिति के गठन द्वारा सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित नियम बनाने के, अतिरिक्त सशक्त करता है ।

16. विधेयक का खंड 32 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित नियम बनाने,- (क) परिसंकटमय प्रक्रियाओं में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों को विनिर्दिष्ट करना; (ख) परिसंकटमय प्रक्रियाओं में अंतर्वलित विनिर्माण भंडारण या उठाई-धराई में अल्प व्यय व्यक्ति, गर्भवती स्त्राळ, वयस्क कर्मकारों के किसी वर्ग को नियोजन से प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करना; और (ग) परिसंकटमय पदार्थों के उपयोग को प्रतिषिद्ध, निर्बन्धित या नियंत्रित करने, के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

17. विधेयक का खंड 33 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक उपचार बक्स के प्रभारी व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार चिकित्सा में प्रमाणपत्र की मान्यता से संबंधित होने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

18. विधेयक का खंड 44 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा कारखाने में गंभीर जोखिम में किसी व्यक्ति को डालने से संबंधित नियम बनाने के अतिरिक्त

सशक्त करता है ।

19. विधेयक का खंड 45 केन्द्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा कारखाना प्रबंधन द्वारा दी जाने वाली कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना के लिए प्रक्रिया से संबंधित नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

20. विधेयक का खंड 47 केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा दुर्घटना या रोग की दशाओं में जांच निर्दिष्ट करने की शक्ति से संबंधित विषयों के संबंध में जांचों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के अतिरिक्त सशक्त करता है ।

21. विधेयक का खंड 62 केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति के लिए सशक्त करता है । तथापि, केंद्रीय सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या ऐसे अन्य विषयों में जैसा वह आवश्यक समझे, एकरूपता लाने की दृष्टि से और राज्य सरकारों के परामर्श से नियमों की विरचना कर सकेगी ।

22. ऐसे विषय, जिनके संबंध में विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं तथा उनके लिए स्वयं विधेयक में उपबंध किया जाना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो— निर्वचन।

* * * * *

(गख) "परिसंकटमय प्रक्रिया" से, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे उद्योग के संबंध में, कोई ऐसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जहां, जब तक विशेष सावधानी नहीं बरती जाती, वहां उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री या उसके मध्यवर्ती या परिसाधित उत्पाद, उपोत्पाद, उनके अपशिष्ट या बहि:स्राव—

(*i*) से उस उद्योग में लगे हुए या उससे संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य का तात्विक न्यास होगा, या

(*ii*) के परिणामस्वरूप साधारण पर्यावरण का प्रदूषण होगा:

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची का उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में परिवर्धन, लोप या परिवर्तन के रूप में संशोधन कर सकेगी;

* * * * *

(च) "सप्ताह" से शनिवार की रात्रि को या ऐसी अन्य रात्रि को, जो कारखानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखकर अनुमोदित की जाए, मध्यरात्रि से आरम्भ होने वाली सात दिन की कालावधि अभिप्रेत है;

* * * * *

(ट) "विनिर्माण प्रक्रिया" से अभिप्रेत है—

* * * * *

(*iv*) मुद्रण के लिए टाइप कम्पोज करने, लैटर-प्रैस, अश्म-मुद्रण, प्रकाशोत्कीर्ण या अन्य वैसी ही प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या जिल्द-बन्दी करने के लिए कोई प्रक्रिया;

* * * * *

(ढ) कारखाने के "अधिष्ठाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारखाने के कामकाज पर अन्तिम नियंत्रण प्राप्त है:

परन्तु—

* * * * *

(*iii*) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कारखाने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा करखाने के कामकाज के प्रबंध के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिष्ठाता समझा जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसे किसी पोत की दशा में जिसकी मरम्मत या जिस पर अनुरक्षण-कार्य ऐसे सूखे डॉक में किया जा रहा है जो भाड़े पर उपलभ्य है—

(*1*) डॉक का स्वामी निम्नलिखित धाराओं द्वारा या उनके अधीन उपबन्धित किसी विषय के प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता समझा जाएगा,—

(क) धारा 6, धारा 7, धारा 7क, धारा 7ख, धारा 11 और धारा 12;

(ख) धारा 17, जहां तक वह डॉक के चारों ओर पर्याप्त और यथोचित प्रकाश की व्यवस्था करने और उसके अनुरक्षण से संबंधित है;

(ग) धारा 18, धारा 19, धारा 42, धारा 46, धारा 47 या धारा 49, जहां तक वे ऐसी मरम्मत और अनुरक्षण की बाबत नियोजित कर्मकारों से सम्बन्धित हैं;

(*2*) पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता अथवा पोत का मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी अथवा कोई व्यक्ति, जो मरम्मत या अनुरक्षण-कार्य करने के लिए ऐसे स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी से संविदा करता है धारा 13, धारा 14, धारा 16 या धारा 17 (जैसा इस परन्तुक में अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय) या अध्याय 4 (धारा 27 को छोड़कर) या धारा 43, धारा 44 या धारा 45, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 या अध्याय 9 या धारा 108, धारा 109 या धारा 110 द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित किसी विषय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) उसके द्वारा सीधे या किसी अभिकरण द्वारा या उसकी मार्फत नियोजित कर्मकार; और

(ख) ऐसे स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसी मरम्मत या ऐसा अनुरक्षण-कार्य करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मशीन संयंत्र या परिसर,

के सम्बन्ध में अधिष्ठाता समझा जाएगा;

* * * * *

(त) "विहित" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

* * * * *

कारखानों का अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण।

6. (*1*) राज्य सरकार—

* * * * *

स्पष्टीकरण—यदि कोई संयंत्र या मशीनरी प्रतिस्थापित करने से अथवा ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने से संयंत्र या मशीनरी के चारों ओर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम खुला स्थान कम नहीं होता है अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भाप, गर्मी या धूल या धूम के निष्कासन या निर्गमन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो केवल ऐसे प्रतिस्थापन अथवा अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि इस धारा के अर्थ में कारखाने का विस्तार हुआ है।

अधिष्ठाता द्वारा सूचना।

7. (*1*) अधिष्ठाता, किसी परिसर का कारखाने के रूप में अधिष्ठान या प्रयोग आरम्भ करने से कम-से-कम पन्द्रह दिन पूर्व, मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें अन्तर्विष्ट होंगी—

* * * * *

(ङ) कारखाने में स्थापित की जाने वाली कुल निर्धारित अश्व शक्ति जिसमें आपातोपयोगी किसी पृथक् संयंत्र की निर्धारित अश्व शक्ति सम्मिलित नहीं की जाएगी;

* * * * *

कारखानों में प्रयोग के लिए वस्तुओं और पदार्थों की बाबत विनिर्माताओं, आदि के साधारण कर्तव्य।

7ख. (*1*) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारखाने में प्रयोग के लिए किसी वस्तु का डिजाइन, विनिर्माण, आयात या प्रदाय करता है,—

* * * * *

(*5*) जहां कोई व्यक्ति किसी वस्तु का, जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य है, यह सुनिश्चित करके कि वह वस्तु उचित रूप से प्रयोग की जाने पर सुरक्षित और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित होगी, डिजाइन,

विनिर्माण, आयात या प्रदाय, ऐसी वस्तु के उपभोक्ता द्वारा लिखित रूप में इस वचनबंध के आधार पर कि वह ऐसे वचनबंध में विनिर्दिष्ट उपाय करेगा, करता है, वहां ऐसे वचनबंध का यह प्रभाव होगा कि वह उस वस्तु का डिजाइन, विनिर्माण, आयात या प्रदाय करने वाले व्यक्ति को उपधारा (*1*) के खंड (क) द्वारा अधिरोपित कर्तव्य से उस विस्तार तक जो वचनबंध के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए उचित है, अवमुक्त करता है।

(*6*) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वस्तु को उचित रूप से प्रयोग किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उसके प्रयोग से संबंधित किसी जानकारी या सलाह को, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने उसे डिजाइन विनिर्मित, आयात या प्रदाय किया है, उपलब्ध कराई गई है, ध्यान में रखे बिना उसका प्रयोग किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''वस्तु'' के अन्तर्गत संयंत्र और मशीनरी है।

* * * * *

13. (*1*) * * * * * कचरे और बहि:स्राव का व्ययन।

(*2*) राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों या उसके भागों के लिए पर्याप्त संवातन और युक्तियुक्त तापमान का मान विहित कर सकेगी और निदेश दे सकेगी कि मापने के उचित उपकरणों को ऐसे स्थानों और ऐसी स्थिति में रखा जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसे अभिलेखों को बनाए रखा जाएगा जो विहित किए जाएं।

* * * * *

17. (*1*) * * * * * रोशनी।

(*4*) राज्य सरकार कारखाने के लिए या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त और यथोचित रोशनी विहित कर सकेगी।

18. (*1*) * * * * * पीने का जल।

(*3*) हर कारखाने में जहां दो सौ पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं गर्मी के मौसम में पीने के जल को प्रभावपूर्ण साधनों से ठंडा करने और उसके वितरण के लिए व्यवस्था की जाएगी।

* * * * *

20. (*1*) * * * * थूकदान।

(*4*) जो कोई उपधारा (*3*) का उल्लंघन करते हुए थूकेगा वह पांच रुपए से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

अध्याय 4

सुरक्षा

21. (*1*) * * * * मशीनरी पर बाड़ लगाना।

(*2*) राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त पूर्वावधानियां जैसी वह किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग के बारे में आवश्यक समझे, नियमों द्वारा विहित कर सकेगी या कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

22. (*1*) जहां किसी कारखाने में धारा 21 में निर्दिष्ट मशीनरी के किसी भाग का, उस मशीनरी के गति में होते हुए परीक्षा करना आवश्यक हो जाता है या ऐसी परीक्षा के फलस्वरूप, यह आवश्यक हो जाता है कि मशीनरी के गति में होने के समय — मशीनरी के गति में होने पर उस पर या उसके निकट काम।

(क) धारा 21 की उपधारा (*1*) के परन्तुक के खण्ड (*1*) में स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया क्रियान्वित की जाए; या

(ख) पूर्वोक्त परन्तुक के खण्ड (*ii*) में निर्दिष्ट दशा में पट्टों को चढ़ाया जाए या उनको अंतरित किया जाए या स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया क्रियान्वित की जाए;

वहां ऐसी परीक्षा या संक्रिया चुस्त कपड़े पहने (जो अधिष्ठाता द्वारा दिए जाएंगे) विशेष रूप से प्रशिक्षित उस वयस्थ पुरुष कर्मकार द्वारा ही की जाएगी जिसका नाम इस निमित्त विहित रजिस्टर में अभिलिखित है और जिसे उसकी नियुक्ति का प्रमाणपत्र दे दिया गया है और जब वह ऐसे काम में लगा हुआ हो—

(क) ऐसा कर्मकार गतिमान घिरनी पर पट्टे से सम्बन्धित कोई काम तभी करेगा जब—

(*i*) पट्टा चौड़ाई में 15 से॰ मी॰ से अधिक न हो;

(*ii*) घिरनी सामान्यत: चलाने के प्रयोजन के लिए हो, न कि केवल फ्लाई व्हील या संतुलित व्हील (जिसमें पट्टे की इजाज़त नहीं है) हो;

(*iii*) पट्टे का जोड़ पट्टे से मिला हुआ या सपाट लगाया हुआ हो;

(*iv*) पट्टा जिसके अन्तर्गत जोड़ और घिरनी रिम भी है, अच्छी मरम्मत की दशा में हो;

(*v*) घिरनी और किसी लगे हुए संयंत्र या किसी संरचना के बीच उचित दूरी हो;

(*vi*) सुरक्षित पायदान और जहां आवश्यक हो वहां सुरक्षित हत्थे चालक के लिए दिए गए हों; और

(*vii*) पूर्वोक्त परीक्षा या संक्रिया क्रियान्वित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कोई सीढ़ी सुरक्षित रूप से लगाई गई हो या बांधी गई हो या दूसरे व्यक्ति द्वारा मजबूती से पकड़ी गई हो।

(ख) मशीनरी पर बाद लगाने से सम्बद्ध इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी परिक्रामी शेफ्ट पर के प्रत्येक जड़े हुए पेच, काबला और कीली पर, प्रत्येक तर्कु, चक्र या पिनियन पर और सभी स्पर, वर्म तथा गति में के अन्य दतुर या घर्षण गियरों पर, जिससे ऐसे कर्मकार के अन्यथा सम्पर्क में आने की संभाव्यता हो ऐसे सम्पर्क का निवारण करने के प्रयोजन के लिए सुरक्षित रूप से बाड़ लगाई जाएगी।

(*2*) किसी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को किसी मूलगति उत्पादक के या संचारण मशीनरी के किसी भाग की, जब मूलगति उत्पादक या संचारण मशीनरी गति में हो, सफाई, स्नेहन या समायोजन करने की अथवा यदि किसी मशीन के किसी भाग की सफाई, स्नेहन या समायोजन उस स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को उस मशीन के या किसी पार्श्वस्थ मशीनरी के किसी गतिमान भाग से क्षति की आशंका में डाल देगा तो उस मशीन के किसी भाग की सफाई, स्नेह या समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(*3*) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने में मशीनरी के विनिर्दिष्ट भागों की, जब वे गति में हों, किसी व्यक्ति द्वारा सफाई, स्नेहन या समायोजन प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

खतरनाक मशीनों पर अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन।

23. (*1*) * * * *

(*2*) उपधारा (*1*) ऐसी मशीनों को लागू होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और जो ऐसी मशीनें होंगी जो उसकी राय में ऐसी खतरनाक प्रकार की हैं कि उन पर अल्पवय व्यक्तियों को तब तक काम नहीं करना चाहिए जब तक कि पूर्वगामी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर दी जाती।

* * * * *

नई मशीनरी का आवेष्टन।

26. (*1*) बिजली से चलने वाली और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी कारखाने में प्रतिष्ठापित सभी मशीनरी में—

(क) किसी परिक्रामी शैफ्ट पर का प्रत्येक जड़ा हुआ पेच, काबला या कीली प्रत्येक तर्कु, चक्र या पिनियन इस प्रकार घसाया, आवेष्टित या अन्यथा प्रभावपूर्ण रूप से संरक्षित किया जाएगा जिससे संकट का निवारण हो जाए;

(ख) सब स्पर, वर्म तथा अन्य दतुर या घर्षण गियर जिसके लिए उस समय जब वह गति में हो बार-बार समायोजन अपेक्षित नहीं होता, पूर्णत: आवेष्टित किया जाएगा जब तक कि वह इस प्रकार स्थित न हो जिससे वह उतना ही सुरक्षित हो जितना वह पूर्णत: आवेष्टित होने पर होता।

(*2*) जो कोई बिजली से चालित किसी मशीनरी को जो उपधारा (1) के या उपधारा (3) के अधीन बने किन्हीं नियमों के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करती किसी कारखाने में प्रयोग के लिए बेचेगा या किराए पर देगा अथवा बेचने या किराए पर देने वाले के अभिकर्ता के रूप में बिकवाएगा या किराए पर दिलाएगा अथवा बेचने या किराए पर देने के लिए उपाप्त करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(*3*) राज्य सरकार किसी विशिष्ट मशीन या वर्ग या प्रकार की मशीनों के किसी अन्य खतरनाक भाग के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाने वाला अतिरिक्त सुरक्षण विनिर्दिष्ट करने वाले नियम बना सकेगी।

रुई धुनकियों के पास स्त्रियों और बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध।

27. रुई दबाने के कारखाने के किसी ऐसे भाग में जिसमें रुई धुनकी चल रही हो, किसी स्त्री या बालक को नियोजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि रुई-धुनकी का भराई-सिरा ऐसे कमरे में हो जो निकासी सिरे से ऐसे विभाजक द्वारा पृथक किया गया है जिसका विस्तार छत तक हो या जिसकी ऊँचाई इतनी हो जितनी निरीक्षक किसी विशिष्ट मामले में लिखकर विनिर्दिष्ट करे तो स्त्रियों और बालकों को विभाजक के उस ओर नियोजित किया जा सकेगा जहां भराई-सिरा स्थित हो।

उत्तोलक और उत्थापक।

28. (*1*) * * * *

(*4*) यदि किसी वर्ग या प्रकार के उत्तोलक या उत्थापक के बारे में राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (*1*) और उपधारा (*2*) की किसी अपेक्षा को प्रवृत करना आयुक्तियुक्त होगा तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसी अपेक्षा ऐसे वर्ग या प्रकार के प्रत्येक उत्तोलक या उत्थापक को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्थापक यंत्र या साधित्र को तब तक उत्तोलक या उत्थापक नहीं समझा जाएगा जब तक उसमें कोई ऐसा मंच या पिंजर न हो जिसकी दिशा या गतिशीलता गाइड या गाइडों द्वारा निर्बंधित हो।

उत्थापक यंत्र, जंजीरें, रस्सियां और उत्थापक टैकल।

29. (*1*) * * * *

(*2*) राज्य सरकार कारखानों में प्रयुक्त किए जाने वाले किसी उत्पाथक यंत्र या किसी जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल के संबंध में—

(क) इस धारा में उपवर्णित अपेक्षाओं के साथ-साथ अनुवर्तित की जाने वाली अतिरिक्त अपेक्षाएं विहित करने वाले;

(ख) इस धारा की सब अपेक्षाओं या उनमें से किसी के अनुवर्तन से, जहां उसकी राय में ऐसा अनुवर्तन अनावश्यक या असाधनीय हो, छूट के लिए उपबन्ध करने वाले,

नियम बना सकेगी।

* * * * *

परिक्रामी मशीनरी।

31. (*1*) * * * *

(*2*) राज्य सरकार, उपधारा (*1*) में निर्दिष्ट जैसे किसी संयंत्र या मशीनरी की परीक्षा या परख के लिए उपबन्ध करने वाले और उससे संबंधित ऐसे अन्य सुरक्षा-उपाय जो उसकी राय में किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए आवश्यक हों, विहित करने वाले नियम बना सकेगी।

(*3*) राज्य सरकार उपधारा (*1*) में विनिर्दिष्ट किसी संयंत्र या मशीनरी के किसी भाग को इस धारा के उपबंधों से छूट नियमों द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेगी, जो उनमें विनिर्दिष्ट की जाएं—

* * * * *

अत्यधिक वजन।

34. (*1*) * * * *

(*2*) राज्य सरकार ऐसे अधिकतम वजनों को विहित करने वाले नियम बना सकेगी जो कारखानों में या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने में या किसी विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के चलाने में नियोजित वयस्थ पुरुषों, वयस्थ स्त्रियों, कुमारों और बालकों के द्वारा उठाए, ले जाए या खिसकाए जा सकेंगे।

आंखों का बचाव।

35. किसी कारखाने में चलाई जाने वाली किसी ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में, जैसी विहित की जाए और जो प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें—

(क) प्रक्रिया के अनुक्रम में छिटकने वाले कणों या खण्डों से आंखों को क्षति की जोखिम, या

(ख) अत्यधिक रोशनी पड़ने के कारण आंखों को जोखिम,

अन्तर्वलित है, राज्य सरकार नियमों द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि क्रिया में या ठीक पास नियोजित व्यक्तियों के बचाव के लिए यथोचित पर्दों या गागलों की व्यवस्था की जाएगी।

खतरनाक धूम, गैसों, आदि के प्रति पूर्वावधानियां।

36. (*1*) किसी व्यक्ति से किसी कारखाने में किसी ऐसे कोष्ठ, टंकी, कुंड, गर्त, पाइप फ्ल्यू या अन्य परिरुद्ध स्थान में, जिसमें किसी गैस, धूम, वाष्प या धूल के इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान होने की संभावना है जिससे व्यक्ति के अभिभूत हो जाने का खतरा है, तब तक प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक उसमें उपयुक्त आकार के मैनहोल या बाहर जाने की अन्य प्रभावी साधनों की व्यवस्था न हो।

(*2*) किसी व्यक्ति से उपधारा (*1*) में निर्दिष्ट किसी परिरुद्ध स्थान के भीतर प्रवेश करने की उपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक किसी ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल को, जो विद्यमान हो, अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर उसके स्तर को लाने के लिए हटाने और ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल के प्रवेश को रोकने के लिए सभी साध्य उपाय नहीं कर लिए गए हों और जब तक—

(क) किसी सक्षमं व्यक्ति द्वारा स्वयं किए गए परीक्षण पर आधारित, ऐसा लिखित प्रमाणपत्र न दे दिया गया हो कि वह स्थान खतरनाक गैस, धूम, वाष्प या धूल से उचित रूप से मुक्त है; या

(ख) ऐसा व्यक्ति यथोचित स्वसन साधित्र और ऐसे रस्से से दृढ़तापूर्वक संलग्न पेटी न पहने हुए हो जिसका खुला सिरा परिरुद्ध स्थान के बाहर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ा हुआ हो।

* * * * *

विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि।

37. (*1*) जहां किसी कारखाने में, किसी विनिर्माण प्रक्रिया से इस प्रकार की और इतनी धूल, गैस, धूम या वाष्प पैदा होती है कि उसके ज्वलन से विस्फुटित होने की सम्भाव्यता हो, वहां ऐसे किसी विस्फोट को रोकने के लिए सब साध्य उपाय निम्नलिखित रूप से किए जाएंगे—

(क) प्रक्रिया में प्रयुक्त संयंत्र या मशीनरी का प्रभावी आवेष्टन;

(ख) ऐसी धूल, गैस, धूम या वाष्प के संचय को हटाना या निवारित करना;

(ग) ज्वलन के सब संभव स्रोतों का अपवर्जन या प्रभावी आवेष्टन;

* * * * *

आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां।

38. (*1*) * * * * *

(*2*) राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या वर्णन के कारखानों की बाबत, उपधारा (*1*) और उपधारा (*2*) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की उपेक्षा करने के लिए नियम बना सकेगी।

* * * * *

सुरक्षा अधिकारी।

40ख. (*1*) प्रत्येक कारखाने में,—

(*i*) जिसमें एक हजार या उससे अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हैं, या

(*ii*) जिसमें राज्य सरकार की राय में कोई विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया की जाती है जो ऐसी प्रक्रिया या संक्रिया है जिसमें कारखाने में नियोजित व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या बीमारी की जोखिम या स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य खतरा है,

अधिष्ठाता, यदि उससे शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई है तो, उतनी संख्या में सुरक्षा अधिकारियों को नियोजित करेगा जितनी कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(*2*) सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, अर्हताएं और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

* * * * *

अध्याय 4क

परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित उपबन्ध

स्थल मूल्यांकन समितियों का गठन।

41क. (*1*) राज्य सरकार, किसी ऐसे कारखाने के, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, प्रारंभिक स्थान के लिए अनुज्ञा देने या किसी ऐसे कारखाने के विस्तार के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए उसे सलाह देने के प्रयोजनों के लिए एक स्थल मूल्यांकन समिति नियुक्त कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(क) राज्य का मुख्य निरीक्षक जो उसका अध्यक्ष होगा;

1974 का 6

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

1981 का 14

(ग) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में निर्दिष्ट वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

1974 का 6

(घ) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन नियुक्त राज्य बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

1981 का 14

(ङ) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 5 में निर्दिष्ट वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

(च) राज्य के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि;

(छ) भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग का एक प्रतिनिधि;

(ज) उपजीविका से संबंधित स्वास्थ्य के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ; और

(झ) राज्य सरकार के शहरी योजना विभाग का एक प्रतिनिधि,

और पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा सहयोजित किए जा सकेंगे, जिसमें—

(*i*) एक ऐसा वैज्ञानिक होगा जिसके पास उस परिसंकटमय प्रक्रिया का जो कारखाने में अंतर्वलित होगी, विशेषज्ञीय ज्ञान है,

(*ii*) उस स्थानीय प्राधिकारी का एक प्रतिनिधि होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर कारखाना स्थापित किया जाना है, और

(*iii*) तीन से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें राज्य सरकार योग्य समझे।

(*2*) स्थल मूल्यांकन समिति, किसी ऐसे कारखाने की, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, स्थापना के लिए आवेदन की जांच करेगी और विहित प्ररूप में ऐसे आवेदनों की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिश करेगी।

(*3*) जहां कोई प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कारखाने से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या किसी कम्पनी से संबंधित है, वहां राज्य सरकार स्थल मूल्यांकन समिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को उस समिति के एक सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी।

(*4*) स्थल मूल्यांकन समिति की यह शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे कारखाने की, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से किसी भी जानकारी की मांग करे।

(*5*) जहां राज्य सरकार ने ऐसे कारखाने की, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन को अनुमोदित कर दिया है, वहां आवेदक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह जल

(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का 6
1981 के अधीन स्थापित केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड **से पुनः अनुमोदन प्राप्त करे।** 1981 का 14

* * * * *

अधिष्ठाता द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण।

41ख. (*1*) * * * * *

(*4*) प्रत्येक अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन से स्थल संबंधी आपात योजना तैयार करेगा और अपने कारखाने के लिए विस्तृत संकट नियंत्रण उपाय करेगा तथा किसी दुर्घटना होने की दशा में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उसमें नियोजित कर्मकारों और कारखाने के आस-पास रहने वाले जनसाधारण की जानकारी में लाएगा।

(*5*) कारखाने का प्रत्येक अधिष्ठाता,—

(क) यदि ऐसा कारखाना, कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ पर, परिसंकटमय प्रक्रिया में लगा हुआ है तो ऐसे प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि के भीतर; और

(ख) यदि ऐसा कारखाना ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय परिसंकटमय प्रक्रिया में लगना चाहता है तो ऐसी प्रक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व तीस दिन की अवधि के भीतर,

मुख्य निरीक्षक को प्रक्रिया की प्रकृति और ब्यौरों के बारे में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचित करेगा।

* * * * *

अधिष्ठाता का परिसंकटमय प्रक्रियाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व।

41ग. किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्वलित है, अधिष्ठाता—

(क) कारखाने में ऐसे कर्मकारों के, यथास्थिति, शुद्ध और अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख या चिकित्सा संबंधी अभिलेख रखेगा जो किसी रासायनिक, विषैले या किन्हीं ऐसे अन्य हानिप्रद पदार्थों के प्रति उच्छन्न हैं जो विनिर्मित किए जाते हैं, भंडार में रखे जाते हैं, उठाए-धरे या परिवहन किए जाते हैं और ऐसे अभिलेख, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कर्मकारों की पहुंच में होंगे;

* * * * *

केन्द्रीय सरकार की जांच समिति नियुक्त करने की शक्ति।

41घ. (*1*) केन्द्रीय सरकार, किसी परिसंकटमय प्रक्रिया में लगे कारखाने में असाधारण स्थिति होने की दशा में एक जांच समिति नियुक्त कर सकेगी, जो कारखाने में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विहित किन्हीं उपायों या स्तरमानों के अपनाए जाने में किसी चूक या उपेक्षा के कारणों का या ऐसी चूक या उपेक्षा के कारण प्रभावित या प्रभावित होने वाले जनसाधारण का पता लगाने की दृष्टि से कारखाने में अनुपालित स्वास्थ्य और सुरक्षा के स्तरमानों की तथा भविष्य में ऐसे कारखाने में या अन्यत्र ऐसी असाधारण स्थितियों को रोकने और पुनः न होने के लिए जांच करेगी।

* * * * *

आपात स्तरमान।

41ङ(*1*) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सुरक्षा के स्तरमान किसी परिसंकटमय प्रक्रिया या परिसंकटमय प्रक्रियाओं के वर्ग की बाबत विहित नहीं किए गए हैं, अथवा जहां इस प्रकार विहित स्तरमान अपर्याप्त हैं, वहां वह कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थानों के महानिदेशक या परिसंकटमय प्रक्रियाओं में सुरक्षा के स्तरमानों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त किसी संस्था को ऐसी परिसंकटमय प्रक्रियाओं की बाबत उपयुक्त स्तरमानों के प्रवर्तन के लिए आपात स्तरमान अधिकथित करने के लिए निदेश दे सकेगी।

* * * * *

रासायनिक और विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अनुज्ञेय सीमाएं।

41च. (*1*) किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रियाओं (चाहे वे परिसंकटमय हों या अन्यथा) में रासायनिक और विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं उस मान तक होंगी जो दूसरी अनुसूची में उपदर्शित हैं।

* * * * *

41छ. (*1*) अधिष्ठाता, ऐसे प्रत्येक कारखाने में, जहां कोई परिसंकटमय प्रक्रिया की जाती है, या जहां परिसंकटमय पदार्थों का प्रयोग या उनकी उठाई-धराई की जाती है, काम में उचित सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने में तथा उस निमित्त किए गए उपायों का कालिकत: पुनर्विलोकन करने के लिए कर्मकारों और प्रबंध के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक सुरक्षा समिति का गठन भी करेगा जिसमें कर्मकारों और प्रबंध के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी: सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना।

परन्तु राज्य सरकार, लिखित रूप में आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उनहें लेख बद्ध करके, किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग के अधिष्ठाता को ऐसी समिति का गठन करने से छूट दे सकेगी।

* * * * *

45. (*1*) * * * * * प्राथमिक उपचार साधित्र।

(*3*) प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्स या कबर्ड को एक अलग उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में रखा जाएगा, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्राथमिक उपचार चिकित्सा का प्रमाणपत्र हो और जो कारखाने के काम के घण्टों के दौरान सदा आसानी से उपलभ्य हो।

* * * * *

46. (*1*) राज्य सरकार यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट कारखाने में, जिसमें ढाई सौ से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाने हैं, कर्मकारों के उपयोग के लिए अधिष्ठाता द्वारा कैन्टीन या कैन्टीनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा। कैन्टीन।

(*2*) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) वह तारीख जिस तक ऐसी कैन्टीन की व्यवस्था की जाएगी;

(ख) कैन्टीन के सन्निर्माण, उसमें जगह, फर्नीचर और अन्य साज-सामान के बारे में मानक;

(ग) खाद्य पदार्थ जो वहां उपलभ्य किए जाएंगे और दाम जो उनके लिए प्रभारित किए जा सकेंगे;

(घ) कैन्टीन के लिए प्रबंध समिति का गठन और कैन्टीन के प्रबंध में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व;

(घघ) कैन्टीन के चलाए जाने में व्यय की वे मदें, जो खाद्य पदार्थों का खर्च निर्धारित करने में हिसाब में नहीं ली जाएंगी और जिन्हें नियोजक वहन करेगा।

(ङ) खण्ड (ग) के अधीन नियम बनाने की शक्ति का मुख्य निरीक्षक को ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, प्रत्यायोजन।

47. (*1*) हर ऐसे कारखाने में, जिसमें डेढ़ सौ से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हों, पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय या विश्राम कक्ष और पीने के पानी की व्यवस्था सहित ऐसे उपयुक्त भोजन कक्ष, जहां कर्मकार अपने द्वारा लाया खाना खा सकें, कर्मकारों के उपयोग के लिए उपलभ्य होंगे और अनुरक्षित रखे जाएंगे: आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष

परन्तु यह कि धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार चलाई गई कोई कैन्टीन इस उपधारा की अपेक्षाओं के भागरूप मानी जाएगी:

परन्तु यह और कि जहां भोजन कक्ष विद्यमान हो वहां कोई कर्मकार काम के कमरे में कोई खाना नहीं खाएगा।

* * * * *

56. कारखाने में किसी वयस्थ कर्मकार के काम की कालावधियां इस प्रकार व्यवस्थित की जाएंगी कि धारा 55 के अधीन उसके विश्राम के लिए अन्तरालों के सहित उनकी किसी दिन साढ़े दस घंटे से अधिक विस्तृति नहीं होगी: विस्तृति।

परन्तु मुख्य निरीक्षक उन कारणों से जो लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे विस्तृति को बढ़ाकर बारह घंटे तक की कर सकेगा।

* * * * *

अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी

59. (*1*) जहां कोई कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन नौ घंटों से अधिक या किसी सप्ताह अड़तालीस घंटों से अधिक के लिए काम करता है वहां वह अतिकाल काम के लिए अपनी मजदूरी की मामूली दर से दुगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा।

(*2*) उपधारा (*1*) के प्रयोजनों के लिए "मजदूरी की मामूली दरों" से अभिप्रेत है आधारी मजदूरी और ऐस भत्ते, जिनके अंतर्गत कर्मकारों को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोदभूत फायदे का नकद समतुल्य भी है, जिनका कि कर्मकार तत्समय हक हो, किन्तु बोनस और अतिकाल काम के लिए मजदूरी इसके अन्तर्गत नहीं है।

(*3*) जहां किसी कारखाने में किन्हीं कर्मकारों को मात्रानुपाती दर के आधार पर संदाय किया जाता है वहां कालानुपाती दर उस कलैण्डर मास के, जिसके दौरान अतिकाल काम किया गया था, ठीक पूर्ववर्ती मास के दौरान जिन दिनों उन्होंने वही या वैसा ही काम वास्तव में किया था उन दिनों के उनके पूर्णकालिक दैनिक औसत उपार्जनों के बराबर समझी जाएगी और ऐसी कालानुपाती दरें उन कर्मकारों की मजदूरी की मामूली दरें समझी जाएंगी:

परन्तु ऐसे कर्मकारों की दशा में, जिसने ठीक पूर्ववर्ती कलैण्डर मास में वही या वैसी ही नौकरी में काम नहीं किया है, कालानुपाती दर उन दिनों के लिए जब कर्मकार ने उस सप्ताह में वास्तव में काम किया था जिसमें अतिकाल काम किया गया था, उसके उपार्जन के दैनिक औसत के समतुल्य समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कर्मकार द्वारा वास्तव में काम किए गए दिनों के उपार्जन की संगणना करने में ऐसे भत्ते, जिनमें खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के कर्मकारों को रियायती विक्रय से प्रोदभूत फायदे की नकद समतुल्य राशि भी है, जिनका कि कर्मकार तत्समय हकदार हो, सम्मिलित कर लिए जाएंगे, किन्तु उस अवधि के दौरान, जिसके सम्बन्ध में उपार्जन की संगणना की जा रही है, बोनस या अतिकाल काम के लिए किसी मजदूरी की अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(*4*) कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोदभूत फायदे के नकद समतुल्य की संगणना इतनी बार, जितनी विहित की जाए, मानक कुटुम्ब के लिए अनुज्ञेय खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के अधिकतम परिणाम के आधार पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1—"मानक कुटुम्ब" से अभिप्रेत है कर्मकार, उसकी पत्नी, या उसके पति और चौदह वर्ष से कम आयु वाले दो बालकों से मिलाकर बना कुटुम्ब जिसमें कुल मिलाकर तीन वयस्थ उपभोग-यूनिट अपेक्षित होंगे।

स्पष्टीकरण 2—"वयस्थ उपभोग-यूनिट" से चौदह वर्ष की आयु के ऊपर के पुरुष का उपभोग-यूनिट अभिप्रेत है; और चौदह वर्ष से ऊपर की आयु की स्त्री और चौदह वर्ष से कम आयु वाले बालक का उपभोग-यूनिट वयस्थ उपभोग-यूनिट के, क्रमशः 8 और 6 की दर से परिकलित किया जाएगा।

(*5*) राज्य सरकार निम्नलिखित विहित करने वाले नियम बना सकेगी—

(क) वह रीति जिनमें खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के कर्मकार को रियायती विक्रय से प्रोदभूत फायदे का नकद समतुल्य संगणित किया जाएगा; और

(ख) वे रजिस्टर, जो इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के प्रयोजन के लिए कारखाने में रखे जाएंगे।

* * * * *

छूट देने वाले नियम बनाने की शक्ति।

64. (*1*) * * * * *

(*4*) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार, उपधारा (*2*) के खंड (क) के अधीन छूट में के सिवाय, अतिकाल सहित काम की निम्नलिखित परिसीमाओं से आगे नहीं जाएगी:—

* * * * *

(*iv*) अतिकाल के घंटों की कुल संख्या किसी एक तिमाही के लिए पचास से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—''तिमाही'' से लगातार तीन मास की वह कालावधि अभिप्रेत है जो पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई या पहली अक्तूबर को आरंभ हो।

(*5*) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम पांच वर्ष से अनधिक के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

छूट के आदेश देने की शक्ति।

65. (*1*) * * * * *

(*3*) उपधारा (*2*) के अधीन दी गई कोई छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:—

* * * * *

(*iv*) किसी भी कर्मकार को लगातार सात दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में ''तिमाही'' का वही अर्थ है जो धारा 64 की उपधारा (4) में है।

स्त्रियों के नियोजन पर अतिरिक्त निर्बन्धन।

66. (*1*) कारखानों में स्त्रियों को लागू होने में इस अध्याय के उपबंधों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त निर्बन्धन भी होंगे, अर्थात्:—

(क) किसी स्त्री के बारे में धारा 54 के उपबन्धों से कोई छूट नहीं दी जाएगी;

(ख) किसी कारखाने में किसी स्त्री से 6 बजे प्रात: और 7 बजे सांय के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी:

परंतु राज्य सरकार किसी कारखाने, या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी किन्तु इस प्रकार कि ऐसी फेरफार 10 बजे सायं और 5 बजे प्रात: के बीच के घंटों में किसी स्त्री के नियोजन को प्राधिकृत न करे।

(ग) कोई पारी किसी साप्ताहिक अवकाश दिन या किसी अन्य अवकाश दिन के पश्चात् बदलने के सिवाय नहीं बदली जाएगी।

(*2*) राज्य सरकार उपधारा (*1*) में उपवर्णित निर्बन्धनों से, मत्स्य-संसाधन या मत्स्य-डिब्बाबन्दी के ऐसे कारखानों में, जिनमें किसी कच्ची सामग्री को नुकसान या बिगाड़ से बचाने के लिए स्त्रियों का नियोजन उक्त निर्बन्धनों में विनिर्दिष्ट घंटों से आगे भी आवश्यक हो, काम करने वाली स्त्रियों को इतने विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसे वह विहत करे, छूट उपबंधित करने वाले नियम बना सकेगी।

(*3*) उपधारा (*2*) के अधीन बनाए गए नियम एक समय पर तीन वर्ष से अनधिक के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

76. राज्य सरकार—

* * * * *

(ख) कारखानों में काम करने वाले बालकों और कुमारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शारीरिक मान विहित करने वाले,

* * * * *

विधि के कतिपय अन्य उपबंधों का अर्जित न होना।

77. इस अध्याय के उपबंध बालक नियोजन अधिनियम, 1938 (1938 का 26) के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

* * * * *

मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी।

79. (*1*) हर कर्मकार को जिसने किसी कलैंडर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में 240 या अधिक दिनों की कालावधि तक काम किया है, पश्चातवर्ती कलैंडर वर्ष के दौरान इतने दिनों के लिए मजदूरी सहित छुट्टी अनुज्ञात की जाएगी जितने निम्नलिखित दर से परिकल्पित होंगे—

(*i*) यदि वह वयस्थ है, तो पूर्ववर्त्ती कलैंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर बीस दिन के लिए एक दिन।

(*ii*) यदि वह बालक है तो पूर्ववर्त्ती कलैंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर पन्द्रह दिन के लिए एक दिन।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए—

(क) करार, या संविदा द्वारा अथवा स्थायी आदेशों के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी के कोई दिन;

(ख) स्त्री कर्मकार की दशा में, बारह सप्ताह से अनधिक के लिए प्रसूति छुट्टी के कोई दिन; और

(ग) जिस वर्ष छुट्टी का उपभोग किया जाता है उससे पूर्ववर्त्ती वर्ष में उपार्जित छुट्टी;

240 या अधिक दिनों की कालावधि की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे दिन समझे जाएंगे जिनमें कर्मकार ने कारखानों में काम किया है, किंतु इन दिनों के लिए वह छुट्टी उपार्जित नहीं करेगा।

* * * * *

(*2*) वह कर्मकार जिसकी सेवा पहली जनवरी के प्रथम दिन से अन्यथा प्रारंभ होती है उपधारा (1) के यथास्थिति खण्ड (*i*) या खण्ड (*ii*) में अधिकथित दर पर मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा यदि उसने कलैंडर वर्ष के अवशिष्ट भाग के दिनों की कुल संख्या के दो-तिहाई के लिए काम किया है।

* * * * *

खतरनाक संक्रियाएं।

87. जहां राज्य सरकार की यह राय है कि किसी कारखाने में चलाई जाने वाली कोई विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया ऐसी है कि वह उसमें नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष, या रोग की गंभीर जोखिम में डाल देती है वहां वह किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को जिनमें वह विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया चलाई जा रही हो लागू होने वाले ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें—

* * * * *

(ख) उस विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया में स्त्रियों, कुमारों या बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित होगा;

कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना।

88. (*1*) * * * * *

(*3*) राज्य सरकार इस धारा के अधीन जांच में प्रक्रिया विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

* * * * *

कतिपय रोगों की सूचना।

89. (*1*) * * * * *

(*4*) यदि कोई चिकित्सा-व्यवसायी उपधारा (*2*) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल होगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

दुर्घटना या रोग की दशाओं में जांच निर्दिष्ट करने की शक्ति।

90. (*1*) यदि राज्य सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है तो वह किसी ऐसी दुर्घटना के कारणों की जो किसी कारखाने में हुई हो या किसी ऐसे मामले की, जिसमें तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई रोग किसी कारखाने में लगा हो या यह संदेह हो कि वहां वह लगा, जांच करने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी और ऐसी जांच में असेसर के रूप में कार्य करने के लिए एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी जिनको विधिक या विशिष्ट जानकारी हो।

(*2*) इस धारा के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों
1908 का 5 और भौतिक पदार्थों को पेश कराने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सब शक्तियां होंगी और जहां तक जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो वह इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकेगा; और जांच करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई सूचना देने के
1860 का 45 लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 के अर्थ में ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(*3*) इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देगा जिसमें यथास्थिति दुर्घटना या रोग के कारण और कोई तत्सम्बद्ध परिस्थितियां कथित होंगी और कोई ऐसी टीका-टिप्पणियां भी होंगी जो वह या असेसरों में से कोई करना ठीक समझे।

(*4*) यदि राज्य सरकार ठीक समझती है तो वह इस धारा के अधीन दी गई किसी रिपोर्ट या उसमें से किन्हीं उद्धारणों को प्रकाशित करा सकेगी।

(*5*) इस धारा के अधीन जांचों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी।

* * * * *

सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण।

91क. (*1*) मुख्य निरीक्षक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशक या भारत सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या ऐसा अन्य अधिकारी, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए या मुख्य निरीक्षक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महनिदेशक या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कारखाने के प्रसामान्य काम के घंटों के दौरान या किसी ऐसे अन्य समय पर, जब वह आवश्यक समझे, कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसका तत्समय कारखाने का भारसाधक होना तात्पर्यित है, इत्तिला देकर सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर सकेगा और ऐसा अधिष्ठाता या प्रबंधक या अन्य व्यक्ति ऐसे सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा जिनके अन्तर्गत संयंत्र और मशीनरी की परीक्षा और परीक्षण के लिए और सर्वेक्षण से सुसंगत नमूने और अन्य आंकड़े के संकलन की सुविधाएं भी हैं।

* * * * *

अध्याय 10

शास्तियां और प्रक्रिया

अपराधों के लिए सामान्य शास्ति।

92. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और धारा 93 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि यदि किसी कारखाने में या उसके संबंध में, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के या तद्धीन दिए गए किसी लिखित आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन होगा तो कारखाने का अधिष्ठाता और प्रबंधक प्रत्येक अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से और यदि उल्लंघन, दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उल्लंघन इस प्रकार जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु जहां अध्याय 4 के या उसके अधीन या धारा 87 के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन से कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हुई है वहां जुर्माना, ऐसी दुर्घटना की दशा में जिससे मृत्यु हुई है पच्चीस हजार रुपए से और ऐसी दुर्घटना की दशा में जिससे गंभीर शारीरिक क्षति हुई है, पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 94 में "गंभीर शारीरिक क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिसमें शरीर के किसी अंग के उपयोग की स्थायी हानि या स्थायी क्षति अथवा दृष्टि या श्रवण-शक्ति को स्थायी हानि या क्षति हुई है या होने की पूरी सम्भाव्यता है या कोई अस्थि-भंग हुआ है किन्तु इसके अंतर्गत किसी हाथ और पैर की अंगुलियों का ऐसा अस्थि या जोड़ का भंग नहीं है (जो किसी एक अस्थि या जोड़ से अधिक का अस्थि-भंग नहीं है)।

कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व।

93. (*1*) जहां किसी परिसर में पृथक-पृथक भवन विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक् कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गए हैं वहां पहुंच मार्गों, जल निकासों, जल प्रदाय, रोशनी और स्वच्छता जैसी सामान्य सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था और अनुरक्षा करने के लिए परिसर का स्वामी उत्तरदायी होगा।

(*2*) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक को, उपधारा (*1*) के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी।

(*3*) जहां किसी परिसर में स्वतंत्र या स्वत: पूर्ण मंजिले या फ्लैट विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक् कारखानों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए पट्टों पर दिए गए हैं वहां परिसर का स्वामी निम्नलिखित के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए ऐसे दायित्वाधीन होगा मानो वह कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक हो—

(*i*) शौचालय, मूत्रालय और धुलाई की सुविधाएं जहां तक उन प्रयोजनों के लिए जल के सामान्य प्रदान का बनाए रखना संबंधित है;

(*ii*) ऐसी मशीनरी और संयंत्र पर बाड़ लगाना जो स्वामी का हो और अधिष्ठाता की अभिरक्षा या उसके प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ठ रूप से न्यस्त न किया गया हो;

(*iii*) मंजिलों या फ्लैटों तक पहुंचने के लिए निरापद साधन और सीढ़ियां और सामान्य मार्गों का बनाए रखना और सफाई;

(*iv*) आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां;

(*v*) उत्तोलकों और उत्थापकों का अनुरक्षण; और

(*vi*) परिसर में उपलभ्य किन्हीं अन्य सामान्य सुविधाओं का अनुरक्षण।

(*4*) राज्य सरकार के नियंत्रक के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक के उपधारा (*3*) के उपबन्धों के कार्यान्वयन के बारे में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी।

(*5*) जहां किसी परिसर में, सामान्य शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई की सुविधाओं के सहित पृथक् कमरे विभिन्न अधिष्ठाताओं को, पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गए हैं वहां स्वामी के दायित्व के बारे में उपधारा (*3*) के उपबन्ध लागू होंगे:

परन्तु स्वामी शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई की सुविधाओं की व्यवस्था और अनुरक्षा करने से सम्बद्ध अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(*6*) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा (*5*) में निर्दिष्ट परिसर के स्वामी को धारा 46 या धारा 48 के उपबन्धों के कार्यान्वयन के बारे में आदेश देने की शक्ति होगी।

(*7*) जहां किसी परिसर में किसी कमरे या शैड के भाग विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक् कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए जाते हैं, वहां परिसर का स्वामी निम्नलिखित के उपबन्धों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए दायित्वाधीन होगा—

(*i*) धारा 14 और धारा 15 को छोड़कर अध्याय 3;

(*ii*) धारा 22, 23, 27, 34, 35 और 36 को छोड़कर अध्याय 4:

परन्तु धारा 21, 24 और 32 के उपबन्धों के बारे में स्वामी का दायित्व वहीं तक होगा, जहां तक ऐसे उपबन्ध उसके नियंत्रणाधीन बातों से सम्बद्ध हैं:

परन्तु यह और कि अधिष्ठाता अपनी या अपने द्वारा प्रदत्त मशीनरी और संयंत्र के बारे में अध्याय 4 के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा:

(*iii*) धारा 42।

(*8*) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा (*1*) के उपबन्धों के कार्यान्वयन के बारे में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी।

(*9*) उपधारा (*5*) और (*7*) के सम्बन्ध में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के प्रयोजन के लिए संगणित करते समय पूरे परिसर को एक ही कारखाना समझा जाएगा।

94. (*1*) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 92 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हो चुका है, उसी उपबन्ध का कोई उल्लंघन अन्तर्वलित करने वाले अपराध का पुन: दोषी होगा तो वह पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा: पूर्वतन दोषसिद्धि के पश्चात् वर्धित शास्ति।

परन्तु न्यायालय किन्हीं ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, दस हजार रुपए से कम का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि जहां अध्याय 4 के या उसके अधीन या धारा 87 के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन से ऐसी दुर्घटना हुई है, जिससे मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है, वहां जुर्माना ऐसी दुर्घटना की दशा में, जिससे मृत्यु हुई है, पैंतीस हजार रुपए से कम और ऐसी दुर्घटना की दशा में जिससे गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है दस हजार रुपए से कम नहीं होगा।

(*2*) उपधारा (*1*) के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी दोषसिद्धि का कोई संज्ञान नहीं किया जाएगा जो उस अपराध के किए जाने से दो वर्ष से अधिक पूर्व की गई है जिसके लिए वह व्यक्ति तत्पश्चात् दोषसिद्ध किया जा रहा है।

95. जो कोई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन निरीक्षक को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में उसे जानबूझकर बाधित करेगा या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में अपनी अभिरक्षा में रखे गए किन्हीं रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, निरीक्षक की मांग पर पेश करने में असफल होगा या कारखाने में किसी कर्मकार को निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाएगा या रोकेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। निरीक्षक को बाधित करने के लिए शास्ति।

96. जो कोई, वहां तक के सिवाय जहां तक इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, धारा 91 के अधीन किए गए किसी विश्लेषण के परिणाम को प्रकाशित या किसी व्यक्ति को प्रकट करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा। धारा 91 के अधीन विश्लेषण के परिणाम को दोषपूर्णतया प्रकट कर देने के लिए शास्ति।

96क. (*1*) जो कोई धारा 41ख, 41ग या 41ज के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का पालन करने में असफल रहेगा या उनका उल्लंघन करेगा, वह ऐसा असफलता या उल्लंघन की बाबत कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात ऐसी असफलता या ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। धारा 41ख, 41ग और 41ज के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।

* * * * *

97. (*1*) धारा 111 के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि यदि कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के किसी उपबन्ध का जो कर्मकारों पर कोई कर्तव्य या दायित्व अधिरोपित करता है, उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। कर्मकारों द्वारा अपराध।

* * * * *

98. जो कोई धारा 70 के अधीन अन्य व्यक्ति को दिए गए किसी योग्यता प्रमाणपत्र को उस धारा के अधीन अपने को अनुदत्त योग्यता प्रमाणपत्र के रूप में जानबूझ कर प्रयुक्त करेगा या प्रयुक्त करने का प्रयत्न करेगा अथवा जो ऐसा प्रमाणपत्र उपाप्त कर चुकाने के पश्चात् उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा जानबूझकर प्रयोग में लाने देगा या प्रयोग में लाने का प्रयत्न करने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा। मिथ्या योग्यता प्रामणपत्र प्रयुक्त करने के लिए शास्ति।

बालक का दोहरा नियोजन अनुज्ञात करने के लिए शास्ति।

99. यदि कोई बालक किसी कारखाने में किसी ऐसे दिन काम करेगा जिस दिन वह पहले ही अन्य कारखाने में काम करता रहा है, तो उस बालक की माता या पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में या नियंत्रण में वह है या जो उसकी मजदूरी से कोई प्रत्यक्ष फायदा अभिप्राप्त करता है, जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा जब तक न्यायालय को यह प्रतीत न हो कि बालक ने ऐसा काम उस माता या पिता, संरक्षक या व्यक्ति की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया है।

* * * * *

न्यायालय की आदेश देने की शक्ति।

102. (*1*) * * * * *

(*2*) जहां उपधारा (*1*) के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहां यथास्थिति कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक, न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के, यदि कोई हो, दौरान अपराध के जारी रहने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय नहीं होगा, किन्तु यदि, यथास्थिति, कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के अंत तक न्यायालय के आदेश का पूर्णत: अनुपालन नहीं हुआ है तो यथास्थिति अधिष्ठाता या प्रबन्धक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अतिरिक्त अपराध किया है और न्यायालय उसके लिए उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास भोगने के लिए, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना देने के लिए, जो ऐसी समाप्ति के पश्चात हर ऐसे दिन के लिए, जिसमें आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, सौ रुपए तक का हो सकेगा या यथापूर्वोक्त कारावास भोगने और जुर्माना देने या दोनों के लिए दण्डादिष्ट कर सकेगा।

* * * * *

आयु के विषय में सिद्धिभार।

104. (*1*) * * * * *

(*2*) प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा किसी कर्मकार के बारे में यह लिखित घोषणा कि उसने स्वयं उस कर्मकार की परीक्षा की है और यह विश्वास करता है कि वह कर्मकार ऐसी घोषणा में कथित आयु से कम का है, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए, उस कर्मकार की आयु के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

* * * * *

कर्मकारों की बाध्यताएं।

111. (*1*) * * * * *

(*2*) यदि कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार इस धारा या तदधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

* * * * *

नियम बनाने की साधारण शक्ति।

112. राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जो किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध करें जो इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन विहित किया जाना है या किया जाए या जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए समीचीन समझा जाए।

* * * * *

पहली अनुसूची

[धारा 2(गख) देखिए]

ऐसे उद्योगों की सूची जिसमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं अन्तर्वलित हैं

1. लौह धातुकर्म उद्योग

   –समकलित लोहा और इस्पात

   –लोहामिश्र धातु

   –विशेष इस्पात

2. अलौह धातुकर्म उद्योग

   –प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनीज और ऐलुमिनियम

3. ढलाईसाल (लौह और अलौह)

   –ढलाई और गढ़ाई, जिसके अंतर्गत रेल और शाट विस्फोटन द्वारा सफाई करना या चिकना/खुदरा बनाना भी हैं।

4. कोयला (जिसके अंतर्गत कोक भी है) उद्योग

   –कोयला, लिग्नाइट, कोक आदि।

   –ईंधन गैसें (जिसके अंतर्गत कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस भी है)

5. शक्ति जनन उद्योग

6. लुग्दी और कागज (जिसके अंतर्गत कागज उत्पाद भी है) उद्योग

7. उर्वरक उद्योग

   –नाइट्रोजनी

   –फास्फेटी

   –मिश्रित

8. सीमेंट उद्योग

   –पोर्टलैंड, सीमेंट (जिसके अंतर्गत धातुमल सीमेंट, पुज्जोलोना सीमेंट और उनके उत्पाद भी हैं)

9. पेट्रोलियम उद्योग

   –तेल परिष्करण

   –स्नेहक तेल और ग्रीस

10. पैट्रोरसायन उद्योग

11. औषधि और भैषजिक उद्योग

    –स्वापक, औषधि और भैषजिक।

12. किण्वन उद्योग (आसवनी और मद्य निर्माणशाला)

13. रबड़ (संश्लिष्ट) उद्योग

14. पेंट और वर्णक उद्योग

15. चर्म शोधन उद्योग

16. विद्युत लेपन उद्योग

17. रासायनिक उद्योग

- कोक, बन्द-चूल्हा उपोत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद
- आद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसिटिलीन, आर्गन, कार्बन डाइआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड हैलेजनेटीकृत हाइड्रोकार्बन, ओजोन, आदि)
- प्रौद्योगिक कार्बन
- क्षार और अम्ल
- क्रोमेट और डाइक्रोमेट
- सीसा और उसके यौगिक
- विद्युत रसायन, (धात्विक सोडियम, पोटासियम, और मैग्नोशियम क्लोरेट, परक्लोरेट और परआक्साइड)
- विद्युत तापीस उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक, कैल्शियम कार्बाइड)
- नाइट्रोजनी यौगिक (साइनाइड, साइनामाइड और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक)
- फास्फोरस और उसके यौगिक
- हैलोजन और हैलोजेनेटीकृत यौगिक (क्लोरिन, फ्लूरीन, ब्रोमिन और आयोडीन)
- विस्फोटक (जिसके अंतर्गत औद्योगिक विस्फोटक और विस्फोटक प्रेरक तथा फ्यूज भी हैं)

18. कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, और अन्य नाशक जीवमार उद्योग

19. संशिलष्ट रेजिन और प्लास्टिक

20. मानवनिर्मित फाइबर (सेलूलोसी और असेलूलोसी) उद्योग

21. विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत

22. कांच और मृतिका शिल्प

23. धातुओं का पेषण या कांचन

24. ऐस्बेस्टास और उसके उत्पादों का विनिर्माण, उनकी उठाई-धराई और उनका प्रसंस्करण

25. वनस्पति और प्राणी स्रोत से तेल और वसा का निष्कर्षण

26. बेंजीन और बेंजीन से युक्त पदार्थों का विनिर्माण, उनकी उठाई-धराई और उसका उपयोग

27. कार्बन डाइसल्फाइड अंतर्ग्रस्त विनिर्माण प्रक्रिया और संक्रिया

28. रंजक और रंजक द्रव्य जिनके अंतर्गत उनके मध्वर्ती भी हैं

29. अति ज्वलनशील द्रव्य और गैसें।

* * * * *

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
2	7	पकिणचि	परिणति
3	42	के	का
6	41	जिससे	जिस
7	11	संबंधित	सुसंगत
7	14	महानिदेशक	महानिदेशालय
7	34	परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय	परन्तु केन्द्रीय
7	35	रहते हुए मुख्य	रहते हुए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या मुख्य
9	7	शक्ति,	शक्ति का,
9	8	निरीक्षक प्रत्यायोजन	निरीक्षक को प्रत्यायोजन
9	26	माह	मास
10	5	के खंड (iv) में,–	में,–
10	6	(क) "पचहत्तर"	(क) खंड (iv) में "पचहत्तर"
10	7	स्पष्टीकरण के पश्चात्	खंड (iv) के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण से पूर्व
13	20	फ्लौटों	फ्लैटों
13	31	बरामदों, स्थानों,	बरामदों, पहुंच स्थानों,
13	37	उपर्युक्त पर	उपर्युक्त
19	10	विनिमार्ण	विनिर्माण
19	11	अंतराष्ट्रीय	अन्तरराष्ट्रीय
19	31	"आखों का बचाव" से संबंधित धारा	धारा
19	32	प्रतिस्थापन	अंतःस्थापन
20	25	7	5
23	18	प्रत्येक और हरेक कारखाने	प्रत्येक कारखाने
23	29	20	21
24	1	20	22
25	6	नःशक्तता	निःशक्तता
28	39	प्रव्रियाओं	प्रक्रियाओं
29	3	प्रव्रिया	प्रक्रिया
29	15	प्रव्रिया	प्रक्रिया
29	30	प्रव्रिया या परिसंकटमय प्रव्रियाओं	प्रक्रिया या परिसंकटमय प्रक्रियाओं
29	32	प्रव्रियाओं	प्रक्रियाओं
29	33	प्रव्रियाओं	प्रक्रियाओं
30	5	प्रव्रियाओं	प्रक्रियाओं
30	8	प्रव्रियाओं	प्रक्रियाओं
30	10	प्रव्रियाओं	प्रक्रियाओं
30	25 और 26	प्रव्रियाओं	प्रक्रियाओं
30	38	ढाई सौ	दो सौ पचास
31	14	डेढ़ सौ	एक सौ पचास
32	3	स्पष्टीकरण खंड का	उक्त स्पष्टीकरण का
32	24	उक्त उपधारा में स्पष्टिकरण के पश्चात् एक	उक्त खंड एक
35	20 से 24	उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "महानिदेशक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम	उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "महानिदेशक कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान" शब्दों के स्थान पर,

		संस्थान महानिदेशक" शब्दों के स्थान पर, महानिदेशक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशक के नाम को परिवर्तित करके महानिदेशक, व्यवसाय, सुरक्षा और स्वास्थ्य करने के कारण "महानिदेशक, व्यवसाय, सुरक्षा और स्वास्थ्य" शब्द रखे जा सकें ।	"महानिदेशक उपजीविका जन्य सुरक्षा और स्वस्थ्य" शब्द कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के नाम को परिवर्तित करके महानिदेशालय, उपजीविका जन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य करने के कारण "महानिदेशक, सुरक्षा और स्वास्थ्य" शब्द रखे जा सकें ।
36	16	तीन हजार	तीन लाख
36	34	(1अ)	(1क)
37	4	(1अ)	(1क)
37	8	शक्तिीी	शक्ति
40	2	सशक्ताा	सशक्त
40	9	परिणामी है	परिणामिक प्राकृतिक है
43	32	स्त्राळ	स्त्री